

Bhopal, the 13th February 1991

No. F. 1-163-89-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service, teaching cadre recruitment rules, namely:—

RULES

1. Short title.—These rules may be called the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1990.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Government;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;
- (d) "Schedule" means a schedule appended to these Rules;
- (e) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as scheduled castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (f) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service.

3. Scope and application. — Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service.—The Service shall consist of the following persons, namely:—

- (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay, etc.—The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment by Competitive Examination/Selection;
- (b) by promotion of members already in the service specified in column (2) of Schedule-IV;
- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts as specified in Schedule-II;
- (d) by absorption of Teaching staff of non Government Polytechnics taken over by the Government in the manner specified in Schedule III-A.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts, as specified in Schedule-I.

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल - 462 004

क्रमांक/प्रशा/2/अ/91/ 623

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 1991

प्रति,

26

प्राचार्य,

§ 1 §

समस्त शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय;

§ 2 §

समस्त शासकीय पॉलीटेक्निक,

§ 3 §

समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय,

विषय :- मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा § राजपत्रित § सेवा भरती नियम
1990 का प्रकाशन ।

...

मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा § राजपत्रित § सेवा भरती नियम
1990 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4 § ग § दिनांक 5.4.91 में हुआ
है । सेवा भरती नियम 1990 की एक प्रति आपकी ओर संदर्भ हेतु एतद्वसह
संलग्न है । साथ ही शासन द्वारा जारी शुद्धि पत्र की प्रति भी संलग्न है ।

✓ Manoj Kumar
तकनीकी शिक्षा संचालक,
मध्यप्रदेश.

पृ. क्र. / प्रशा / 2 / अ / 91 / 624

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 1991

प्रतिलिपि :-

निम्नलिखित की ओर नियमों की एक प्रति सहित

सूचनाय संलग्न भेजी जाती है :-

§ 1 §

तकनीकी शिक्षा संचालनालय के समस्त अधिकारी गण ।

§ 2 §

तकनीकी शिक्षा संचालनालय के उप-विभाग तीन § प्रशासन § 1

§ 3 §

सचिव, तकनीकी शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।


913
9/5/91

✓ Manoj Kumar
तकनीकी शिक्षा संचालक,
मध्यप्रदेश.

चिन्ता/22491/

1:	2:	3:	4:	5:	6:
13.	141	हसी में 11वीं पंक्ति में	निर्देश तथा	-	कालम 4 में छे शब्द को विलोपित करना है
14.	147	कालम 2 में सरल क्र:16 की प्रथम पंक्ति	प्रभिलेख रिकार्डिस्ट	रिकार्डिस्ट	कालम 4 में छे शब्द विलोपित करना है।
15.	149	कालम 3 में प्रथम पंक्ति	संचालित	आमो लित	-
16.	150	कालम 5 की प्रथम पंक्ति में	उपयुक्त लिखित रिशे	-	कालम 4 में छे शब्द को विलोपित करना है
17.	155	कालम 2 सरल क्र:4	घांक्रिक	याक्रिक	-
18.	171	S.No.6 Training & Placement Officer Col.(4)	02	04	-
19.	173	S.No.4(20) Training & Placement Officer Col.(7)	Other Ser- vices/deputa- tion/contract	the cadre of Lecturer (Technical)	-
20.	173	S.No.6 Assistant Workshop Superintendant Col.5	100%	100%	100% should be in Col.6 instead of Col.5
21.	177	S.No.2 Reader Col. No.5(2) first line	Teaching Industry	Teaching/ Industry	-
22.	183	S.No.(14) Lecturer Printing Col.2(14)	(14)	(4)A	-
23.	183	S.No.(15) Lecturer Costume Design & Dress making Col.5	(RH6)	(M.H.Sc.)	-
24.	187	9(b) first line	19-1-84	19-11-84	-


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


 S.M. आर० ठाकुर
 अवर सचिव,
 म.प्र. शासन, जनशक्ति, नियोजन विभाग

सु:सफ क्र:1-163/09/42-1:

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 1991

प्रतिलिपि: संचालक, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।


 अवर सचिव, 25/4/91
 म.प्र. शासन, जनशक्ति, नियोजन विभाग।

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 1991

शुद्धि पत्र

एफ क्रमांक: 1-163/82/42-1: मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल 1991 में प्रकाशित जनशक्ति नियोजन विभाग के तकनीकी शिक्षा §राज्यवित्त§ भरती नियम क्र: एफ 1-16. 89/42-1 दिनांक 13 फरवरी 1991 में भिन्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाय:-

क्र: पृष्ठ संख्या कठिना

मेवा भरती नियम पुस्तिका में क्या छपा है
मेवा भरती नियम पुस्तिका में क्या छपा होना चाहिए
अभ्युक्ति

1:	2:	3:	4:	5:	6:
1.	113	प्रश्न लाइन	"व्यालित" के आगे -	-	-
2.	116	11818 दूसरी लाइन	-	अवधारित करें	-
3.	122	1188 के समय कालम नं. 6 में दूसरी पंक्ति	-	/	व्याख्याता और प्रबन्धन के बीच में लगाना है।
4.	124	कालम 2 के सरल क्र: 8 के समक्ष कालम 3 में	-	01	-
5.	125	कालम 5	200	2200	-
6.	130	8 की दूसरी पंक्ति के कालम 2 में	प्रवाचक	उपाचार्य	-
7.	132	सरल क्र: 19 विशेषज्ञ शिक्षक के समक्ष कालम 5 में	100%	-	कालम 4 के 100% को विलोपित करना है।
8.	132	कालम 3 में 4 व्याख्याता के समक्ष सरल क्र: छपा नहीं है	-	(6) दूरदर्शन	-
9.	133	कालम-3 के सरल क्र: 198 कर्मचारी अधीक्षक के समक्ष कालम 5 में	100%	-	कालम 4 के 100% को विलोपित करना है।
10.	133	कालम 3 में सरल क्र: 28 के आगे कालम 7 में दूसरी पंक्ति में प्रतिनिधित्व के अर्थ	-	/	-
11.	138	कालम 2 में क्रम 2 पर उल्लिखित उपाचार्य की दर § के समक्ष कालम 5 में क्रम 2 की दूसरी पंक्ति में शीर्ष के बाद	-	कार्य	-
12.	141	कालम 2 में सरल क्र: 1 के 7वीं पंक्ति में	वस्त्र	कपड़ा टेक्स्टाईल	-

§..... निरंतर §

मध्य प्रदेश शासन
जनशक्ति नियोजन विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 1991

शुद्धि पत्र

एफ क्रमांक: 1-163/89/42-1: मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल 1991 में प्रकाशित जनशक्ति नियोजन विभाग के तकनीकी शिक्षा {राजपत्रित} भरती नियम क्र: एफ 1-163/89/42-1 दिनांक 13 फरवरी 1991 में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाय:-

क्र:	पृष्ठ संख्या	कंडिका	सेवा भरती नियम पुस्तिका में क्या छपा है	सेवा भरती नियम पुस्तिका में क्या छपा होना चाहिए	अभ्युक्ति
1:	2:	3:	4:	5:	6:
1.	113	प्रथम लाइन	"बयालित" के आगे	-	-
2.	116	118 की दूसरी लाइन	-	अवधारित करें	-
3.	122	118 क के समक्ष कालम नं. 6 में दूसरी पंक्ति	-	/	व्याख्याता और प्रधर श्रेणी के बीच में लगाना है।
4.	124	कालम 2 के सरल क्र: 8 के समक्ष कालम 3 में	-	01	-
5.	125	कालम 5	200	2200	-
6.	130	8 की दूसरी पंक्ति के कालम 2 में	प्रसाधक	उपाचार्य	-
7.	132	सरल क्र: 19 विशेषज्ञ शिक्षक के समक्ष कालम 5 में	100%	-	कालम 4 के 100% को विलोपित करना है।
8.	132	कालम 3 में 4 व्याख्याता के सूच में सरल क्र: छपा नहीं है	-	(6) दूरदर्शन	-
9.	133	कालम-3 के सरल क्र: 19 के समक्ष कालम 5 में	100%	-	कालम 4 के 100% को विलोपित करना है।
10.	133	कालम 3 में सरल क्र: 28 के अगे कालम 7 में दूसरी पंक्ति में प्रतिनियुक्ति के अगे	-	/	-
11.	138	कालम 2 में क्रम 2 पर उल्लिखित उपाचार्य/रीडर के समक्ष कालम 5 में क्रम 2 की दूसरी पंक्ति में शोध के बाद	-	कार्य	-
12.	141	कालम 2 में सरल क्र: 1 के 7वीं पंक्ति में	वस्त्र	कपड़ा/टेक्सटाईल	-

{..... निरंतर }

में प्रकाशित
: एफ 1-163/
व:-

अभ्युक्ति

6:

व्याख्याता और प्रधर श्रेणी के बीच में लगाना है।

कालम 4 के 100% को विलोपित करना है।

कालम 4 के 100% को विलोपित करना है।

78

1:	2:	3:	4:	5:	6:
13.	141	कालम 1 में 11वीं पंक्ति में	निवेश तथा	-	कालम 4 में शब्द को विलोपित करना है
14.	147	कालम 2 में सरल क्र: 16 की प्रथम पंक्ति	प्रभिलेख रिपोर्टिस्ट	रिपोर्टिस्ट	कालम 4 में शब्द विलोपित करना है।
15.	149	कालिका 3 स्कूल की प्रथम पंक्ति	संविलियत	आमोहित	-
16.	150	कालिका 5 की प्रथम पंक्ति में	उपयुक्त सिफारिशों।	-	कालम 4 में शब्द को विलोपित करना है
17.	155	कालम 2 सरल क्र: 4	यंत्रिक	यंत्रिक	-
18.	171	S.No.6 Training & Placement Officer Col.(4)	02	04	-
19.	173	S.No.4(20) Training & Placement Officer Col.(7)	Other Ser: vices/deputa- tion/contract	the grade of Lecturer (Technical)	-
20.	173	S.No.3 Assistant Workshop Superin- tendent Col.5	100%	100%	100% should be in Col.6 instead of Col.5
21.	177	S.No.2 Reader Col. No.5(2) first line	Teaching Industry	Teaching/ Industry	-
22.	183	S.No.(14) Lecturer Printing Col.2(14)	(14)	(4) A	-
23.	183	S.No.(15) Lecturer Costume Design & Dress making Col.5	(RH6)	(M.H.Sc.)	-
24.	187	9(b) first line	19-1-84	19-11-84	-

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

(Signature)

एमओआरओ ठाकुर

अवर सचिव,

मओप्रशासन, जनशक्ति, नियोजन विभाग

पु:सफ क्र: 1-163/89/42-1:

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 1991

प्रतिलिपि: संवालक, तकनीकी शिक्षा, मओप्रभीपाल को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

(Signature)

अवर सचिव,

मओप्रशासन, जनशक्ति, नियोजन विभाग।

25/4/91

INDIAN SOCIETY FOR TECHNICAL EDUCATION
(Madhya Pradesh)

Chairman : Dr. A.S. Khanooja
Secretary : Prof. M.K.Uprit

IV Floor, Satpura
Phawan Bhopal - 4

Ref : ISTE

Dated

NATIONAL SEMINAR ON
PERFORMANCE APPRAISAL AND DEVELOPMENT SYSTEM IN
TECHNICAL INSTITUTIONS OF MADHYA PRADESH
(PADS)
15-16 JUNE 1991

INTRODUCTION

The teachers have to perform in addition to the major role of teaching students, duties like administrative and management functions, development of learning resource materials, consultancy and interaction with industry, research and development including innovation, extension services to the community and acquisition and development of expertise in their chosen field of specialization.

The NPE stipulates the introduction of a system of teacher evaluation-open, participative and date based - which will lay down norms of accountability and a system of incentives and rewards for good performance.

As a professional body of engineering teachers interested in the promotion of quality and standards in technical education, M.P. section of ISTE is organising workshops in order to bring together Directors and heads of selected institutions at Diploma and Degree levels and develop models appropriate to different types of institutions and in accordance with the technical education policy of the State Government.

THEME :

- * Objectives of performance Appraisal System
- * Method of Implementation of PADS

सम 4 में
व को विभा
त करना है

सम 4 में
व को विभा
त करना है

00% should
e in Col.6
nstead of
ol.5

त तथा

न विभाग

991

एवं

4-191

न विभाग

- * Strategy for implementation of PADS
- * Flow charts/Questionnaire/Format for operation of PADS
- * Action Research/case Studies

CALL FOR PAPERS

Original papers in duplicate, concerning the above themes are invited to reach the office of ISTE M. Chapter, Bhopal on or before 25.5.91. Selected papers will be published in the seminar Document and the Journal of the ISTE. Papers should be typed in double space on one side and good quality bound paper leaving 40 mm margin on the left (A-4 Size)

REGISTRATION FEES

Member	:	Rs.	200/-
Non Member	:	Rs.	300/-
Industries and others	:	Rs.	400/-
Sponsored Candidate	:	Rs.	1000/-

SPONSORSHIP

Various organisations, educational institutions, electronic industries are requested to sponsor this Seminar with a sponsorship fee of Rs. 5000/- They can then send four delegates free of delegation fees.

ADVERTISEMENT TARIFF

The seminar will be bringing out a Souvenir containing messages and abstracts of papers to be presented. We solicit the help of industries, institutions and organisations to advertise liberally in the Souvenir. The advertisement charges are :

Cover page	:	Rs.	2500/-
Inside back cover	:	Rs.	2000/-
Full page	:	Rs.	1500/-
Half page	:	Rs.	800/-

The advertising material (for A-4 size) together with the requisite amount may be sent to the Chairman, Organising Committee. The draft may be drawn in favour of the ISTE, M.P State section Bhopal.

ADDRESS FOR COMMUNICATION

Dr. A.S. Khanooja
 Chairman, M.P. Section of ISTE
 All India Seminar on
 Performance Appraisal and Development
 System in Technical Institutions of M.P.,
 Directorate of Technical Education,
 4th Floor, Satoura Bawan,
 BHOPAL - 462004.

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

जनशक्ति नियोजन विभाग

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 1991

फ. 1-163-89 बयालीस.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, तद्वहारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा शिक्षण सर्वग में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1990 है।

2. परिभाषा.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा ;

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(ङ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में इस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा।

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले गए नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(1) वे व्यक्ति, जिनके इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों

(2) वे व्यक्ति, जिनके इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जिनके इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किए गए हों।

Bhopal
the sam-
typed
aving 40

ectronic
ponsorship
of delega-

aining
licit the
vertisc
's :

r with the
g Committee
section Bho

5. बर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का बर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं उससे संबद्ध वेतनमान अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा :

परन्तु, सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

- (क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भरती द्वारा ;
- (ख) अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा में पहले से ही कार्यरत सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूलतः धारण किए हों जो अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ;
- (घ) अनुसूची तीन-अ में विनिर्दिष्ट रीति में सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए गए अज्ञातकीय विविध शिल्प शालाओं के अध्यापन कर्मचारिवृन्द के आमेलन द्वारा.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

3. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसे विशिष्ट पद या पदों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीकें तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा अयोग के परामर्श से अवधान की जाएगी.

4. उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखा जाए तो ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग, की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेशों द्वारा विहित करे.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी और कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जा सकेगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—परीक्षा/चयन में भाग लेने के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :-

(क) आयु—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारम्भ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्षों तक की छूट दी जायेगी.

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दी जायेगी :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और अन्य किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यन्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छूटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :- पद "छूटनी किया गया सरकारी सेवक" से श्रोतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या उसकी संघटक इकाईयों में से किसी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह माह तक की निरंतर कालावधि तक रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवान्युक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :- पद "भूतपूर्व सैनिक" से श्रोतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के परिणामस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छूटनी कर दी गयी हो या जिसे अधिशेष घोषित कर दिया गया हो :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भरती किया गया हो और जो-

क-अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर ;

ख-भरती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर सेवान्युक्त कर दिए गए हों ;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी ;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिन्हें उनकी सविदा पूर्ण होने पर सेवान्युक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) ;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवान्युक्त किया गया हो ;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो ;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवान्युक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं ;

न अनुसूची-एक

र पर वृद्धि या

से की जाएगी,

द्वारा ;

नी-दो में विनिर्दिष्ट

वेद्य शिक्षण शालाओं

समय अनुसूची-एक

ती की किसी विशिष्ट
ता तरीका या तरीके,
परामर्श से अवधारित

वश्यकताओं को देखते
ति से, उक्त उपनियम
जारी किए गए आदेश

की जाएगी और ऐसे
के बाद ही की जाएगी

में को निम्नलिखित श

म दिन को अनुसूची-ती
(4) में विनिर्दिष्ट अ

में अधिकतम पांच

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लगने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ङ) विधवा निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु-सीमा 35 वर्ष होगी।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु-सीमा में दो वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(छ) आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अग्न पुरस्कृत दम्पति के सवर्ण पति/पत्नी को सामान्य उच्चतर आयु-सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ज) "विक्रम अवाडी" धारण करने वाले अभ्यर्थियों को भी सामान्य उच्चतर आयु-सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (होम गार्ड्स) तथा नगर सैनिकों के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम आयु सीमा में अधिक से अधिक 8 वर्ष तक की छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा लिए जाने के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दें। तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छूटनी की गई हो।

विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं :- उनके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये, जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाए गए अनुसार सेवा के लिए विहित की गई हो :

परन्तु-

(क) आपवादिक मामलों में सरकार की सिफरिश पर, आयोग, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो आयोग की राय में अभ्यर्थी के चयन के लिए परीक्षा में प्रवेश दिए जाने या विचार किए जाने को न्यायोचित ठहराती हों, तथा,-

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को भी, जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने उन विदेशी विश्वविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है डिग्री प्राप्त की है, चयन/परीक्षा में प्रवेश दिए जाने पर आयोग के विवेकानुसार विचार किया जाएगा।

(तीन) फीस :- उसे आयोग द्वारा विहित की गयी फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हताएं :- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा उसके परीक्षा में प्रवेश/चयन के लिये निरर्हकारी माना जा सकेगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा--परीक्षा/चयन में प्रवेश के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्य बात के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा आयोग द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी न किया हो।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती :- (1) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जैसे सरकार आयोग के परामर्श से, समय-समय पर।

(2) आयोग द्वारा परीक्षा-एसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जैसे सरकार आयोग के परामर्श से, समय-समय पर जारी करे.

(3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों का, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, नियुक्त के लिए विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें आयोग ने प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने की सिफारिश की हो, उप-नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, जो आवश्यक अर्हता रखते हों, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां अनन्य रूप से इन अभ्यर्थियों के लिए पुनः विज्ञापित की जाएंगी. यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां भरे जाने से शेष रह जाएं, तो वे सामान्य अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी तथा पश्चात्पूर्वी चयन के दौरान उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (जिनमें अग्रणीत रिक्तियां भी सम्मिलित हैं) किसी भी समय, विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैदालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(7) जब सीधी भरती द्वारा पद भरे जाने के लिये अत्यावश्यक शर्त के रूप में अनुभव की एक निश्चित कालावधि विहित की गई हो और लोक सेवा आयोग की राय में आरक्षित पदों पर भरती के लिये आवश्यक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना न हो, तो लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

11. (अ) चयन द्वारा सीधी भरती.—(1) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जाएगा, जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(2) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा उनका साक्षात्कार करने के पश्चात् किया जाएगा.

(3) सीधी भरती के लिये रिक्त स्थानों के 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों का, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति के लिये विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग ने, प्रशासन की दक्षता बनाये रखाने का सम्यक् ध्यान रखते हुये सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, उप-नियम (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित, सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्त स्थान उस स्थिति में, जब चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाना हो, दो बार केवल इन अभ्यर्थियों के लिये पुनः विज्ञापित किये जायेंगे. यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्त स्थान भरने से शेष रह जाते हैं तो वे सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे और पश्चात्पूर्वी चयन के दौरान उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की कुल संख्या (जिसमें अग्रणीत किये गये रिक्त स्थान भी सम्मिलित हैं) विज्ञापित किये गये कुल रिक्त स्थानों के पैतालीस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(7) जब सीधी भरती द्वारा पद भरे जाने के लिये अत्यावश्यक शर्त के रूप में अनुभव की एक निश्चित कालावधि निश्चित की गई हो और लोक सेवा आयोग की राय में आरक्षित पदों पर भरती के लिये आवश्यक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना न हो, तो लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) आयोग अपने द्वारा अवधारित किये गये मानकों के अनुसार अर्हित अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस मानक से अर्हित न हों, किन्तु प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किए गए हो सरकार को भेजेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नामों पर उस क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची आयोग द्वारा उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्राथमिक चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अंतरालों में अपनी बैठक करेगी।

(3) ऐसे पदों में जिनमें पदोन्नति की प्रतिशतता 33 1/2 प्रतिशत या उससे अधिक है पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों का 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों के लिए, जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हों, आरक्षित रखा जायेगा (उक्त प्रथम श्रेणी के पदों के मामले में संवर्ग के निम्नतम टैक के लिय आरक्षण ग्राह्य होगा)।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जा किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.—(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर, जो अनुसूची-चार के कालम (2) में वर्णित हो अथवा ऐसे किसी अन्य पद/पदों पर, जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किया गया हो, उतने वर्ष की सेवा पूर कर ली हो और जो अनुसूची चार के कालम (5) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखते हों, त जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र (जोन ऑफ कन्सीडरेशन) में आते हों :

परन्तु आपातकालीन तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन से नियुक्त किए गए अधिकारियों की सेवाओं की गणना उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जायेगी, जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 2266-1987-एक-3-6 तारीख 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार नियुक्त किया गया समझा गया हो :

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर, प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिये केवल इस आंधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है।

(2) चयन के लिए विचार का क्षेत्र योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में सामान्यतः चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सात गुना तक सीमित होगा :

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित क्षेत्र में उपयुक्त अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों, तो समिति, उस क्षेत्र को उस सीमा तक, जहाँ तक कि वह आवश्यक समझे, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बढ़ा सकती है।

15. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की, एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराए गए हों। यह सूची चयन सूची के तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए भी तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन, वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय अनुसूची-चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जायेंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :—ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के सम्बंध में अपन कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. आयोग से परामर्श.—विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जायगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन कर लिया गया है और आयोग से पृथक से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. चयन सूची.—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची-चार के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की उक्त अनुसूची के कालम (2) से पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी विधिमान्यता ऐसी सूची तैयार करने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ायी जायेगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन सरकार की प्रेरणा पर किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो वह चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन सरकार की प्रेरणा पर किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो वह चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्तियाँ उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन-सूची में हो :

परन्तु जहाँ प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहाँ उस व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो या जिसका नाम चयन सूची में ठीक आगे न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि रिक्ति के तीन मास से अधिक चालू रहने की संभावना नहीं है।

कुल संख्या (जिसमें से किसी भी समय

कालावधि निश्चित नुसूचित जाति तथा अनुसूचित जातियों

मानकों के अनुसार के ऐसे अभ्यर्थियों रखते हुए, आयोग नकारी के लिए भी

रहते हुए, उपलब्ध उनके नाम सूची में

नहीं हो जाता, जब कि अभ्यर्थी सेवा में

विधिमान्य रहेगी।

समिति का गठन

के उपलब्ध रिक्तियों के लिए, जो नियम में संवर्ग के निम्नतम

समय-समय पर जारी

उन सभी व्यक्तियों कालम (2) में वर्णित वे वर्ष की सेवा पूर्ण नुभव रखते हो, तथा

पाना उनकी नियुक्ति 1987-एक-3-67,

श्रेणी/पदोन्नति देने की है।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसका नाम चयन-सूची में सम्मिलित हो, साधारणतः सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन-सूची में उसका नाम सम्मिलित करने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आयी हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो, जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

19. परीक्षा.—सेवा में सीधा भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

20. निर्वाचन.—यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. स्थितीकरण.—इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निबटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. व्यावृत्ति.—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबधित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. निरस्तन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरस्तन नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. शर्मा, उपसचिव

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

इंजीनियरी महाविद्यालय

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बैतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	तकनीकी				
1.	प्राचार्य	10	प्रथम श्रेणी	6300-7300 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
2.	प्राध्यापक	72	प्रथम श्रेणी	4500-7300 (ए.आई.सी.टी.ई.)	

[भाग 4 (ग)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(1) सिविल इंजीनियरी	18			
	(2) यांत्रिक इंजीनियरी	17			
	(3) विद्युत इंजीनियरी	16			
	(4) अनुप्रयुक्त यान्त्रिक	02			
	(5) इलेक्ट्रानिक्स	07			
	(6) रासायनिक इंजीनियरी	02			
	(7) खनन इंजीनियरी	03			
	(8) धातु विज्ञान	01			
	(9) औद्योगिक इंजीनियरी/ उत्पादन इंजीनियरी	02			
	(10) हल्की धातु और मिश्र धातु प्रौद्योगिकी	01			
	(11) कम्प्यूटर विज्ञान	01			
	(12) स्थापत्यकला	02			
3.	उपाचार्य (रीडर)	164	प्रथम श्रेणी	3700-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
	(1) सिविल इंजीनियरी	36			
	(2) यांत्रिकी इंजीनियरी	38			
	(3) विद्युत इंजीनियरी	31			
	(4) अनुप्रयुक्त यान्त्रिक	10			
	(5) इलेक्ट्रानिक्स	20			
	(6) रासायनिक इंजीनियरी	06			
	(7) खनन इंजीनियरी	11			
	(8) धातु विज्ञान	03			
	(9) हल्की धातु और मिश्र धातु प्रौद्योगिकी	02			
	(10) स्थापत्यकला	04			
	(11) इंजीनियरी रसायन	02			
	(12) कम्प्यूटर (संगणक) इंजीनियरी	01			
4.	कर्मशाला अधीक्षक	08	प्रथम श्रेणी	3700-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
5.	प्रशिक्षण और स्थानन अधिकारी (प्राध्यापक)	02	प्रथम श्रेणी	4500-7300 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
6.	प्रशिक्षण और स्थानन अधिकारी (व्याख्याता)	04	प्रथम श्रेणी	2200-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
7.	प्रशिक्षण और अवकाश रक्षिति (प्राध्यापक)	02	प्रथम श्रेणी	4500-7300 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
8.	प्रशिक्षण और अवकाश रक्षिति (उपाचार्य/रीडर)	09	प्रथम श्रेणी	3700-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)	

टिप :- "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एज्युकेशन.

के पूर्व आयोग से परामर्श
वित्त नियुक्ति की तारीख
में ऐसी हो, जिससे वह

खीक्षा पर नियुक्त किया

कार को निर्दिष्ट किया

ए ऐसे व्यक्ति के मामले
में हो, कार्यवाही करने

रीति की अपेक्षा उसके

के लिये राज्य सरकार
क्षत आरक्षण तथा अन्य

नियम इन नियमों के

के संबंध में यह समझा

तथा आदेशानुसार,
सी. शर्मा, उपसचिव

टिप्पणी

(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	प्रशिक्षण और अवकाश रक्षिति (व्याख्याता)	13	प्रथम श्रेणी	2200-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
10	सहायक कर्मशाल अधीक्षक	17	प्रथम श्रेणी	2200-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
11.	व्याख्याता	249	प्रथम श्रेणी	2200-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
	(1) सिविल इंजीनियरी	52			
	(2) यांत्रिक इंजीनियरी	66			
	(3) विद्युत इंजीनियरी	49			
	(4) अनुप्रयुक्त यान्त्रिकी	05			
	(5) इलेक्ट्रानिक्स	35			
	(6) रासायनिक इंजीनियरी	11			
	(7) खनन इंजीनियरी	11			
	(8) धातु विज्ञान	05			
	(9) हल्की धातु तथा मिश्र धातु (एलाय) प्रौद्योगिकी	01			
	(10) कम्प्यूटर इंजीनियरी	02			
	(11) स्थापत्यकला	07			
	(12) इंजीनियरी रसायन	05			
11-क.	ज्येष्ठ श्रेणी व्याख्याता		क्रमांक प्रथम श्रेणी 11 में वर्णित समस्त पद	3000-5000 (ए.आई. सी.टी.ई.)	ज्येष्ठ श्रेणी व्याख्याता प्रवर श्रेणी
11-ख.	प्रवर श्रेणी व्याख्याता		क्रमांक प्रथम श्रेणी 11 में वर्णित समस्त पद	3700-5700 (ए.आई. सी.टी.ई.)	व्याख्याता के रूप में रखने के लिये अनुसूची दो की टीप 3/4 तथा 5 में अभिकथित प्रक्रिया को अनुसरण किया जायगा
12.	ज्येष्ठ अनुदेशक (रासायनिक) (समाप्त होने वाला संवर्ग)	02	द्वितीय श्रेणी	2200-4000	..
	गैर तकनीकी				
13.	प्राध्यापक	24	प्रथम श्रेणी	4500-7300 (ए.आई.सी.टी.ई.)	..
	(1) भौतिक शास्त्र	06			
	(2) रसायन शास्त्र	06			
	(3) गणित	07			
	(4) भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान	01			
	(5) कम्प्यूटर उपयोजन	04			

टीप :- "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एज्युकेशन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	उपाचार्य (रीटर्)	27		प्रथम श्रेणी	3700-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)
(1)	भौतिक शास्त्र		05		
(2)	रसायन शास्त्र		03		
(3)	गणित		11		
(4)	भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान		04		
(5)	कम्प्यूटर उपयोजन		04		
15.	व्याख्याता	120		प्रथम श्रेणी	2200-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)
(1)	भौतिक शास्त्र		34		
(2)	रसायन शास्त्र		27		
(3)	गणित		31		
(4)	अंग्रेजी		09		
(5)	भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान		09		
(6)	कम्प्यूटर उपयोजन		10		
15-क.	ज्येष्ठ श्रेणी व्याख्याता	क्रमांक 15 में वर्णित समस्त पद		प्रथम श्रेणी	3000-5000 (ए.आई.सी.टी.ई.)
15-ख.	प्रवर श्रेणी व्याख्याता	क्रमांक 15 में वर्णित समस्त पद		प्रथम श्रेणी	3700-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)
16.	ज्येष्ठ अनुदेशक (समाप्त होने वाला संवर्ग)	04		द्वितीय श्रेणी	2200-4000
(1)	भौतिक शास्त्र		02		
(2)	रसायन शास्त्र		01		
(3)	गणित		01		
17.	कार्यक्रमक (प्रोग्रामर)	13		द्वितीय श्रेणी	2200-4000
	पोलिटैकनिक/महिला तकनीकी				
1.	प्राचार्य	37		प्रथम श्रेणी	4500-150-5700- 200-6300 (ए.आई.सी.टी.ई.)

टीप :- "ए.आई.सी.टी.ई." अभिप्रेत है, आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एज्युकेशन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	भारतीय दल प्रमुख पोलिटैकनिक विकास इकाई.	01	प्रथम श्रेणी	4500-150-5700- 200-6300 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
3.	विभागाध्यक्ष				
(1)	सिविल इंजीनियरी	22	}	प्रथम श्रेणी	3700-125-4950 150-5700 (ए.आई. सी.टी.ई.)
(2)	यांत्रिकी इंजीनियरी	30			
(3)	विद्युत् इंजीनियरी	29			
(4)	इलेक्ट्रानिक तथा टी. वी. इंजीनियरी	04			
(5)	इलेक्ट्रानिक तथा दूर संचार	06			
(6)	टेलीविजन इंजीनियरी	01			
(7)	अनुप्रयुक्त यांत्रिक (एप्लाइड मेकेनिक्स)	01			
(8)	धातु विज्ञान				
(9)	ऑटो मोबाइल	01			
(10)	कपड़ा (टेक्सटाइल)	01			
(11)	संरचना इंजीनियरी	01			
(12)	खनन	03			
(13)	खनन सर्वेक्षण	01			
(14)	नगर निवेश तथा स्थापत्यकला	01	}	प्रथम श्रेणी	3700-125-4950- 150-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)
(15)	स्थापत्यकला मानचित्रकला	03			
(16)	उत्पादन इंजीनियरी	01			
(17)	औषध निर्माण (फार्मसी)	03			
(18)	रासायनिक इंजीनियरी	01			
(19)	विशेषज्ञ अध्यापक (पोलिटैकनिक विकास इकाई)	04			
4.	ब्याख्याता				
(1)	सिविल इंजीनियरी	150	}	प्रथम श्रेणी	2200-75-2800- 100-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)
(2)	यांत्रिक इंजीनियरी	128			
(3)	विद्युत् इंजीनियरी	108			
(4)	इलेक्ट्रानिक तथा दूरसंचार इंजीनियरी	37			
(5)	इलेक्ट्रानिक तथा टी.वी. इंजीनियरी	04			
(6)	टेलीविजन इंजीनियरी	05			
(7)	इंजीनियरी रसायन शास्त्र	08			

टीप :- "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एज्युकेशन.

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(8)	धातु विज्ञान		07	प्रथम श्रेणी	200-75-2800- 100-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
(9)	ऑटोमोबाइल		04			
(10)	कपड़ा (टेक्सटाइल)		03			
(11)	संरचना इंजीनियरी		02			
(12)	नगर निवेश तथा स्थापत्यकला		01			
(13)	खनन		12			
(14)	खनन सर्वेक्षण		02			
(15)	स्थापत्यकला मानचित्रकला		04			
(16)	औषध निर्माण (फार्मसी)		14			
(17)	उत्पादन इंजीनियरी		03			
(18)	रासायनिक इंजीनियरी		07			
(19)	अवकाश रक्षित व्याख्याता		30			
(20)	कर्मशाल अधीक्षक		30			
(21)	प्रशिक्षण स्थानन अधिकारी		11			

4-क.	ज्येष्ठ श्रेणी व्याख्याता	क्रमांक 4 में वर्णित समस्त पद	प्रथम श्रेणी	3000-5000 (ए.आई.सी.टी.ई.)	ज्येष्ठ श्रेणी व्याख्याता तथा प्रवर श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के लिये अनुसूची दो की टीप 3/4 तथा 5 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
4-ख	प्रवर श्रेणी व्याख्याता	क्रमांक 4 में वर्णित समस्त पद	प्रथम श्रेणी	3700-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)	

5.	सहायक कर्मशाला अधीक्षक	21	द्वितीय श्रेणी	2000-3500	राज्य वेतनमान
----	------------------------	----	----------------	-----------	---------------

6.	सहायक व्याख्याता (समाप्त होने वाला संवर्ग)				
(1)	सिविल इंजीनियरी	13	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800- 100-4000	राज्य वेतनमान
(2)	यांत्रिकी इंजीनियरी	16			
(3)	विद्युत इंजीनियरी	21			
(4)	धातु विज्ञान	01			
(5)	खनन	01			
(6)	कपड़ा (टेक्सटाइल)	01			
(7)	गणित	01			
(8)	वेश भूषा अभिकल्प (डिजाइन) तथा पोषाक निर्माण	02			
(9)	सचिवालयीन कार्यप्रणाली तथा शीघ्रलेखन	01			
(10)	स्थापत्य कला मानचित्रकला	01			

टीप :- "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एज्युकेशन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	विभागाध्यक्ष				
	गैर तकनीकी				
(1)	वाणिज्यिक कार्यप्रणाली	05	}	प्रथम श्रेणी	3700-125-4950- 150-5700 (एन.आई.सी.टी.ई.)
(2)	सचिवालयीन कार्यप्रणाली तथा शीघ्रलेखन	03			
(3)	वेशभूषा अभिकल्प (डिजाइन) तथा पोषाक निर्माण	04			
(4)	वीडियो उत्पादन	01			
(5)	आन्तरिक सजावट	01			
(6)	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	01			
(7)	कम्प्यूटर उपयोजन	03			
8.	व्याख्याता				
(1)	भौतिक शास्त्र	29	}	प्रथम श्रेणी	2200-75-2800- 100-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)
(2)	रसायन शास्त्र	29			
(3)	गणित	37			
(4)	अंग्रेजी	36			
(5)	वनस्पति शास्त्र	01			
(6)	वाणिज्यिक कार्यप्रणाली	19			
(7)	सचिवालयीन कार्यप्रणाली तथा शीघ्र लेखन	07			
(8)	वेशभूषा अभिकल्पन (डिजाइन) तथा पोषाक निर्माण	03			
(9)	कम्प्यूटर उपयोजन	08			
(10)	चिकित्सा प्रयोग शाला प्रौद्योगिकी	03			
(11)	वीडियो उत्पादन	02			
(12)	अनुप्रयुक्त फोटोग्राफी	01			
(13)	सिनेमोटोग्राफी	01			
(14)	विडियो प्रौद्योगिकी	01			
8-क.	ज्येष्ठ श्रेणी व्याख्याता	क्रमांक 8 में वर्णित समस्त पद	प्रथम श्रेणी	3000-5000 (ए.आई.सी.टी.ई.)	ज्येष्ठ श्रेणी व्याख्याता प्रथम श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के लिये अनुसूची दो की

टीप :- "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एज्युकेशन.

[भाग 4 (ग)]

(6)

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8-ख. प्रवर श्रेणी व्याख्याता	क्रमांक 8 में वर्णित समस्त पद	प्रथम श्रेणी	3700-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)	टीप 3/4 तथा 5 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया किया जायगा.
9. (1) आलेखक (स्क्रिप्ट राइटर)	01	} प्रथम श्रेणी	3000-4500	राज्य वेतनमान
(2) विडियो रेकार्डिस्ट	01			
10. (1) कार्यक्रमक (प्रोग्रामर)	05	} द्वितीय श्रेणी	2200-4000	राज्य वेतनमान
(2) तंग (सिस्टम) विश्लेषक	02			
(3) विडियोग्राफर	01			
(4) कलाकार	01			
(5) केमरामेन	01			
11. कला निकेतन				
(1) प्राचार्य	01	प्रथम श्रेणी	3700-125-4950-150-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
(2) विभागाध्यक्ष (लेटर प्रेस)	01	प्रथम श्रेणी	3700-125-4950-150-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
(3) विभागाध्यक्ष (फोटोलियोग्राफी)	01	प्रथम श्रेणी	3700-125-4950-150-5700 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
(4) व्याख्याता		} प्रथम श्रेणी	2200-75-2800-100-4000 (ए.आई.सी.टी.ई.)	
सिडिल इंजीनियरी	04			
यांत्रिक इंजीनियरी	02			
विद्युत् इंजीनियरी	04			
(5) व्याख्याता मुद्रण (लेटर प्रेस/फोटोलियोग्राफी)	05			
(6) मुख्य अनुदेशक (मुद्रण)	01			
(7) कर्मशाला फोरमैन	01			
(8) सहायक व्याख्याता/वरिष्ठ अनुदेशक (समाप्त होने वाला सत्र)				

टीप :- "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है. आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एजुकेशन.

ज्येष्ठ श्रेणी व्याख्याता प्रवर श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के लिये अनुसूची दो की

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(क) मुद्रण		02	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800- 100-4000.	राज्यवेतनमान
(ख) यांत्रिक		02			
(ग) आटोमोबाइल		01			
शासकीय उच्चतर माध्यमिक तकनीकी शाला					
12. (1)	प्राचार्य	12	द्वितीय श्रेणी	2375-75-3200- 100-3500-125- 4125	राज्यवेतनमान
(2)	कर्मशाला फोरमैन	12	द्वितीय श्रेणी	2000-60-2300- 75-3200-100- 3500	राज्यवेतन- मान
(3)	व्याख्याता		द्वितीय श्रेणी	(i) 1640-2900 (ii) 2000-3500	12 सेवा वर्ष की सेवा पूरी करने और छानबीन करने पर योग्य पाए जाने पर
(क)	यांत्रिक	12			
(ख)	विद्युत	12			
(4)	व्याख्याता (तकनीकी स्ट्रम कोर्सेस) (समाप्त होने वाला संवर्ग)				
(क)	सिविल	04	द्वितीय श्रेणी		राज्य वेतनमान
(ख)	यांत्रिक	03			
(ग)	विद्युत	04			

अनुसूची-दो

(नियम-6 देखिये)

क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भरती द्वारा	सेवा के मूल/ अस्थायी सदस्यों की पदोन्नति	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	जनशक्ति नियोजन विभाग	तकनीकी इजीनियरिंग महाविद्यालय, प्रथम श्रेणी					
1.		प्राचार्य	10	..	100%
2.		प्राध्यापक	72				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(1) सिविल इंजीनियरी	18	100%	चयन द्वारा
राज्यवेतनमान		(2) यांत्रिक इंजीनियरी	17	100%	चयन द्वारा
		(3) विद्युत इंजीनियरी	16	100%	चयन द्वारा
		(4) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	02	100%	चयन द्वारा
राज्यवेतन- मान		(5) इलेक्ट्रानिक्स	07	100%	चयन द्वारा
		(6) रासायनिक इंजीनियरी	02	100%	चयन द्वारा
		(7) खनन इंजीनियरी	03	100%	चयन द्वारा
		(8) धातु विज्ञान	01	100%	चयन द्वारा
		(9) औद्योगिक इंजीनियरी /उत्पादन इंजीनियरी	02	100%	चयन द्वारा
12 सेवा वर्ष की सेवा पूरी करने और छानबीन करने पर छे पाए जाने पर		(10) हल्की धातु तथा मिश्र धातु प्रौद्योगिकी	01	100%	चयन द्वारा
		(11) कम्प्यूटर विज्ञान	01	100%	चयन द्वारा
		(12) स्थापत्यकला	02	100%	चयन द्वारा
		3. उपाचार्य (रीडर)	164				
राज्य वेतनमान		(1) सिविल इंजीनियरी	36	100%	चयन द्वारा
		(2) यांत्रिक इंजीनियरी	38	100%	चयन द्वारा
		(3) विद्युत इंजीनियरी	31	100%	चयन द्वारा
		(4) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	10	100%	चयन द्वारा
		(5) इलेक्ट्रानिक्स	20	100%	चयन द्वारा
		(6) रासायनिक इंजीनियरी	06	100%	चयन द्वारा
टिप्पणी		(7) खनन इंजीनियरी	11	100%	चयन द्वारा
		(8) धातु विज्ञान	03	100%	चयन द्वारा
वाओ सर्वो न्तरण		(9) हल्की धातु तथा मिश्र धातु प्रौद्योगिकी	02	100%	चयन द्वारा
		(10) स्थापत्यकला	04	100%	चयन द्वारा
		(11) इंजीनियरी रसायन शास्त्र	02	100%	चयन द्वारा
(8)		(12) कम्प्यूटर इंजीनियरी	01	100%	चयन द्वारा
		4. कर्मशाला अधिकारी	08		उपाचार्य रीडर यांत्रिक/औद्यो- गिक उत्पादन इंजीनियरी के संवर्ग स्थानान्तरण द्वारा 100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	प्रशिक्षण तथा स्था- नन अधिकारी (प्राध्यापक)		02	प्राध्यापक (त.नीकी) के संवर्ग के स्था- नांतरण द्वारा 100%	निरंक
6.	प्रशिक्षण तथा स्था- नन अधिकारी (व्याख्याता)		04	व्याख्याता (त.नीकी) के संवर्ग से स्था- नांतरण द्वारा 100%	निरंक
7.	प्रशिक्षण तथा अवकाश रक्षिति (प्राध्यापक)		02	अन्य सेवाओं से स्थानान्तरण द्वारा यथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के संगठन (लोक निर्माण विभाग, सिचाई आदि) एवं उनकी अन्य उपक्रम, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, कोल इंडिया लि., भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आदि प्रति- नियुक्ति/सविदा पर 100%	
8.	प्रशिक्षण तथा अवकाश रक्षिति (प्रवाचक/रीडर)		09				
9.	प्रशिक्षण तथा अवकाश रक्षिति (व्याख्याता)		13				
10	ग्रहयाक कर्मशाला अधीक्षक		17	व्याख्याता यात्रिक इंजीनियरी से स्था- नांतरण द्वारा 100%	
11.	व्याख्याता :-						
	(1) सिविल इंजीनियरी		52	100%	परीक्षा द्वारा
	(2) यात्रिक इंजीनियरी		66	100%	परीक्षा द्वारा
	(3) विद्युत इंजीनियरी		49	100%	परीक्षा द्वारा
	(4) अनुप्रयुक्त यात्रिक		05	100%	परीक्षा द्वारा
	(5) इलेक्ट्रानिक्स		35	100%	परीक्षा द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. विभागाध्यक्ष :-							
	(1) सिविल इंजीनियरी	22	100%	चयन द्वारा	
	(2) यांत्रिक इंजीनियरी	30	100%	चयन द्वारा	
	(3) विद्युत इंजीनियरी	29	100%	चयन द्वारा	
	(4) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूर संचार	06	100%	चयन द्वारा	
	(5) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरदर्शन इंजीनियरी	04	100%	चयन द्वारा	
	(6) दूरदर्शन इंजीनियरी	01	100%	चयन द्वारा	
	(7) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	01	100%	चयन द्वारा	
	(8) धातु विज्ञान	01	100%	चयन द्वारा	
	(9) आटोमोबाइल	01	100%	चयन द्वारा	
	(10) कपड़ा (टेक्सटाइल)	01	100%	चयन द्वारा	
	(11) संरचना इंजीनियरी	01	100%	चयन द्वारा	
	(12) खनन	03	100%	चयन द्वारा	
	(13) खनन सर्वेक्षण	01	100%	चयन द्वारा	
	(14) नगर नियोजन तथा स्थापत्यकला	01	100%	चयन द्वारा	
	(15) स्थापत्यकला मानचित्र-कारिता	03	100%	चयन द्वारा	
	(16) औषध विज्ञान (फार्मसी)	03	100%	चयन द्वारा	
	(17) उत्पादन इंजीनियरी	01	100%	चयन द्वारा	
	(18) रासायनिक इंजीनियरी	01	100%	चयन द्वारा	
	(19) विशेषज्ञ शिक्षक (पोलीटेकनिक विकास ईकाई)	01	विभागाध्यक्ष (तकनीकी) के संवर्ग से 100%	

4. व्याख्याता

(1) सिविल	150	100%	परीक्षा द्वारा
(2) यांत्रिक	128	100%	परीक्षा द्वारा
(3) विद्युत्	108	100%	परीक्षा द्वारा
(4) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूर संचार इंजीनियरी	37	100%	परीक्षा द्वारा
(5) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरदर्शन इंजीनियरी	04	100%	परीक्षा द्वारा
दर्शन इंजीनियरी	05	100%	चयन द्वारा

(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(7) इंजीनियरी रसायन शास्त्र	08	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(8) धातु विज्ञान	07	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(9) आटोमोबाइल	04	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(10) कपड़ा (टेक्सटाइल)	03	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(11) संरचना इंजीनियरी	02	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(12) नगर निवेश तथा स्थापत्यकला	01	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(13) खनन	12	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(14) खनन सर्वेक्षण स्थापत्यकला	02	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(15) स्थापत्यकला मानचित्र- कारिता	04	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(16) औषध विज्ञान (फार्मसी)	14	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(17) उत्पादन इंजीनियरी	03	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(18) रासायनिक इंजीनियरी	07	100%	परीक्षा द्वारा
..	चयन द्वारा			(19) कर्मशाला अधीक्षक	30	100%	निरंक
..	चयन द्वारा					यांत्रिकी इंजी- नियरी/उत्पादक इंजीनियरी के व्याख्याता के स्थानान्तरण द्वारा 100%	
..	चयन द्वारा			(20) प्रशिक्षण स्थानन अधिकारी	30	तकनीकी व्या- ख्याता संवर्ग के स्थानान्तरण द्वारा 100%	निरंक
..	चयन द्वारा			(21) अवकाश रक्षिति व्याख्याता	30	अन्य सेवाओं/ प्रतिनियुक्ति सविदा में स्थानान्तरण द्वारा 100%	निरंक
..	परीक्षा द्वारा								
..	परीक्षा द्वारा	5.		सहायक कर्मशाला अधीक्षक	21	..	100%
..	परीक्षा द्वारा	6.	गैर तकनीकी						
..	परीक्षा द्वारा		विभागाध्यक्ष						
..	परीक्षा द्वारा			(1) वाणिज्यिक कार्य	05	100%	चयन द्वारा
..	परीक्षा द्वारा			(2) सचिवालयीयन कार्य प्रणाली तथा शीघ्र लेखन	03	100%	चयन द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(3)	वेशभूषा अभिकल्प (डिजाइन) तथा पोषाक निर्माण	04	100%	चयन द्वारा
	(4)	वीडियो उत्पादन	01	100%	चयन द्वारा
	(5)	आन्तरिक सजावट	01	100%	चयन द्वारा
	(6)	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	01	100%	चयन द्वारा
	(7)	कम्प्यूटर उपयोग	03	100	चयन द्वारा
7.	व्याख्यता						
	(1)	भौतिकी शास्त्र	29	100%	परीक्षा द्वारा
	(2)	रसायन शास्त्र	29	100%	परीक्षा द्वारा
	(3)	गणित	37	100%	परीक्षा द्वारा
	(4)	अंग्रेजी	36	100%	परीक्षा द्वारा
	(5)	वनस्पति शास्त्र	01	100%	परीक्षा द्वारा
	(6)	वाणिज्यिक कार्य प्रणाली	19	100%	परीक्षा द्वारा
	(7)	सचिवालयीय कार्य प्रणाली तथा प्रिप्रलेखन	07	100%	परीक्षा द्वारा
	(8)	वेशभूषा अभिकल्प (डिजाइन) तथा पोषाक निर्माण	03	100%	परीक्षा द्वारा
	(9)	कम्प्यूटर उपयोग	08	100%	परीक्षा द्वारा
	(10)	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	03	100%	परीक्षा द्वारा
	(11)	वीडियो उत्पादन	02	100%	परीक्षा द्वारा
	(12)	अनुपयुक्त फोटोग्राफी	01	100%	परीक्षा द्वारा
	(13)	सिनेमटोग्राफी	01	100%	परीक्षा द्वारा
	(14)	वीडियो प्रौद्योगिकी	01	100%	परीक्षा द्वारा
8.	(1)	आलेखक (स्क्रिप्टराइटर)	01	100%	परीक्षा द्वारा
	(2)	वीडियो रिकार्डिस्ट	01	100%	परीक्षा द्वारा
9.	(1)	कार्यक्रमक	05	100%	परीक्षा द्वारा
	(2)	तंत्र-विश्लेषक	02	100%	परीक्षा द्वारा
	(3)	वीडियोग्राफर	01	100%	परीक्षा द्वारा
	(4)	कलाकार	01	100%	परीक्षा द्वारा
	(5)	कैमरामैन	01	100%	परीक्षा द्वारा

चयन द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10. कला निकेतन

चयन द्वारा

(1) प्राचार्य

01

विभागाध्यक्ष

चयन द्वारा

तकनीक के

चयन द्वारा

संवर्ग से स्था-

चयन द्वारा

नान्तरण द्वारा

(2) विभागाध्यक्ष (लेटर प्रेस)

01

100%

चयन द्वारा

(3) विभागाध्यक्ष (फोटोसिथो-
ग्राफी)

01

100%

चयन द्वारा

(4) व्याख्याता

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

सिविल इंजीनियरी

04

100%

परीक्षा द्वारा

यांत्रिक इंजीनियरी

02

100%

परीक्षा द्वारा

विद्युत इंजीनियरी

04

100%

परीक्षा द्वारा

(5) व्याख्याता मुद्रण

05

100%

परीक्षा द्वारा

(लेटर प्रेस/फोटोसिथो

ग्राफी)

(6) मुख्य अनुदेशक (मुद्रण)

01

100%

परीक्षा द्वारा

(7) कर्मशाला फोरमेन

01

100%

परीक्षा द्वारा

11 उच्चतर माध्यमिक तकनीक शाला

परीक्षा द्वारा

प्राचार्य

12

100%

निरंक

परीक्षा द्वारा

कर्मशाला फोरमेन

12

100%

निरंक

परीक्षा द्वारा

व्याख्याता यांत्रिकी

12

100%

निरंक

परीक्षा द्वारा

व्याख्याता विद्युत

12

100%

निरंक

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

परीक्षा द्वारा

टिप्पण :- 1. कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय/सहायक कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय/प्रशिक्षण स्थानन अधिकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा कर्मशाला अधीक्षक, पोलिटेकनिक/कर्मशाला फोरमेन कला निकेतन/प्रशिक्षण स्थानन अधिकारी, पोलिटेकनिक के संवर्गों के मामले में, जो अनुसूची दो के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा भरे जाएंगे, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों पर स्थानान्तरित व्यक्तियों को संस्था की आवश्यकतानुसार उसके समतुल्य अध्यापन पदों पर पुनः स्थानान्तरित किया जा सकता है. इन पदों का अनुभव उसी के समतुल्य अध्यापन पदों के अनुभव के समतुल्य माना जाएगा.

टिप्पण :- 2. ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनके पास व्याख्याता के रूप में उनकी भरती के समय इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या डॉक्टर की उपाधि हो, क्रमशः दो तथा चार अग्रिम वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और जिन अभ्यर्थियों के पास विज्ञान तथा मानविकी में एम. फिल, तथा पी.एच.डी. की उपाधि हो, उन्हें रुपये 2200-4000 के वेतनमान में क्रमशः एक तथा तीन अग्रिम वेतनवृद्धि के साथ ही पदोन्नति के प्रयोजन के लिए तत्स्थानी वर्षों की सेवा का लाभ भी दिया जाएगा. विद्यमान व्याख्याता जिनके पास इस प्रकार की अर्हताएं न हो

या जिसे भविष्य में इन अर्हताओं के न होते हुए भी भरती किया जाए, जब भी वह ऐसी अर्हताएं प्राप्त कर ले, सेवा में पदोन्नति के प्रयोजन के लिये समान लाभ पाने का पात्र हो जाएगा किन्तु उसे अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। विद्यमान व्याख्याता भी जिसके पास इस प्रकार की अर्हताएँ हों, पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उक्त लाभ पाने के पात्र होंगे।

टिप्पण :-3. रुपये 2200-4000 के वेतनमान में नियमित व्याख्याता के रूप में नियुक्त व्याख्याता को रुपये 3000-5000 के वेतनमान में ज्येष्ठ व्याख्याता के रूप में रखा जाएगा, यदि :-

- (क) उसने उपरोक्त टिप्पण 2 में यथा उपबन्धित सेवा में छूट सहित नियमित व्याख्याता के रूप में आठ वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (ख) उसने दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों या ग्रीष्म कालीन संस्थाओं में जिनमें से प्रत्येक की अवधि लगभग चार सप्ताह की होगी, अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (आल इंडिया काउन्सिल फार टेकनिकल एजुकेशन) द्वारा अनुमोदित अन्य तुल्य सतत शिक्षा कार्यक्रम में भाग लिया हो।
- (ग) इसके पास निरंतर संतोषप्रद कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन हों।

टिप्पण :-4. ज्येष्ठ वेतनमान वाले व्याख्याता को उपरोक्त टिप्पण 2 में यथा उपबन्धित अनुसार सेवा की छूट सहित आठ वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर 3700-5700 के ज्येष्ठ वेतनमान में व्याख्याता प्रवर श्रेणी के रूप में रखा जाएगा, यदि :-

- (क) उसने ज्येष्ठ व्याख्याता के रूप में आठ वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (ख) वह दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों अथवा ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा तुल्य सतत शिक्षा कार्यक्रम में उपस्थित रहा हो।
- (ग) उसका कार्य निष्पादन निरंतर से अच्छा आँका गया हो।

टिप्पण :-5. व्याख्याता के ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी में स्थानन के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा धारित तत्स्थानी पदों को क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। ऐसा स्थानन स्लीपिंग/चयन प्रक्रिया से एक समिति के द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे।

(क) इंजीनियरिंग महाविद्यालय	सचिव	—अध्यक्ष
	संचालक तकनीकी शिक्षा	—सदस्य
	इंजीनियरिंग महाविद्यालय के दो प्राचार्य	—सदस्य
(ख) पोलिटेकनिक	सचिव	—अध्यक्ष
	संचालक तकनीकी शिक्षा	—सदस्य
	पोलीटेकनिक के दो प्राचार्य	—सदस्य

[भाग 4 (ग)]

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिये)

गी वह ऐसी अर्हताएं प्राप्त
गा किन्तु उसे अग्रिम वेतन
अर्हताये हों, पदोन्नति के

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

ता को रुपये 3000-5000

इंजीनियरिंग महाविद्यालय
तकनीकी

ता के रूप में आठ वर्षों

जनशक्ति नियोजन
विभाग

1. प्राध्यापक

55

(1) पी.एच.डी. तथा प्रथम श्रेणी में
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की समुचित
शाखा में स्नातक या स्नातकोत्तर
उपाधि.

तथा

(2) अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य
संबंधी 10 वर्षों का अनुभव जिसमें
से 5 वर्षों का उपाचार्य (रीडर) या
उसके समतुल्य स्तर का अनुभव
होना चाहिए.

टिप्पण:- डॉक्टरेट के समतुल्य राष्ट्रीय
/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त
उच्च स्तर के व्यावसायिक कार्य के
अनुभव वाले उद्योग/व्यवसाय के
अभ्यर्थी भी पात्र होंगे.

शुद्ध लगभग चार सप्ताह
कार टेकनिकल एजुकेशन

ार सेवा की छूट सहित
ार श्रेणी के रूप में रखा

तकनीकी शिक्षा परिषद्
ग हो

2. उपाचार्य (रीडर)

50

(1) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की समुचित
शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर
उपाधि,

और

(2) समुचित स्तर पर अध्यापन/उद्योग/
शोध कार्य संबंधी पांच वर्षों का
अनुभव.

टिप्पण:- इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के मामले
में उद्योग/व्यावसाय से संबंधित अभ्यर्थी
भी, जिनके पास स्नातकोत्तर की उपाधि
के समतुल्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक
कार्य का अनुभव हो, पात्र होंगे.

वांछनीय:- इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में
पी. एच. डी. उपाधि.

द्वारा धारित तत्स्थानी
के द्वारा किया जाएगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. व्याख्याता	21	30	इजीनियरी/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	3. कम
	2. गैर तकनीकी				
	1. प्राध्यापक	..	55	(1) मानविकी तथा विज्ञान में अध्यापन पदों के लिए समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में एम. एस.सी. सहित पी.एच.डी. उपाधि, तथा (2) अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव उपाचार्य (रीडर) या उसके समतुल्य स्तर का होना चाहिए. टिप्पण:—डॉक्टरेट के समतुल्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्च स्तर के व्यावसायिक कार्य के अनुभव वाले उद्योग/व्यवसाय के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे.	
	2. उपाचार्य (रीडर)	..	50	1. मानविकी तथा विज्ञान में अध्यापन, पदों के मामले में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित किसी समुचित शाखा में पी.एच.डी., तथा 2. समुचित स्तर पर अध्यापन/उद्योग/शोध का 5 वर्ष का अनुभव. टिप्पण:—मानविकी तथा विज्ञान में, यथास्थिति, पी.एच.डी. के समतुल्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक कार्य सहित उद्योग/व्यवसाय से संबंधित अभ्यर्थी भी पात्र होंगे. वांछनीय :—मानविकी/विज्ञान में अध्यापन पदों के दशा में पोस्ट डाक्टोरल वर्क	
	3. व्याख्याता	21	30	मानविकी तथा विज्ञान में अध्यापन पदों के मामले में अध्ययन की किसी भी समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि.	

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समुचित स्नातक	3. कम्प्युटर उपयोजन (एप्लीकेशन)	1. प्राध्यापक	55	1. कम्प्युटर विज्ञान, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पी.एच.डी. या मास्टर ऑफ कम्प्युटर एप्लीकेशन मास्टर ऑफ कम्प्युटर साइंस इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित कम्प्युटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में पी.एच.डी. की उपाधि. तथा 2. 10 वर्ष का अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का (रीडर) उपाचार्य या उसके समतुल्य स्तर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिये. टिप्पण:-डॉक्टरेट के समतुल्य राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्च स्तर के व्यावसायिक कार्य के अनुभव वाले उद्योग/व्यवसाय के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे.		
न में समुचित में एम. उपाधि,						
कार्य जिसमें उपाचार्य स्तर						
समतुल्य पर के अनुभव अभ्यर्थी						
न में अध्या- प्रथम श्रेणी सहित किसी ए.डी.,		2. उपाचार्य (रीडर)	50	1. कम्प्युटर विज्ञान/कम्प्युटर इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या कम्प्युटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित कम्प्युटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में पी. एच. डी. या कम्प्युटर विज्ञान/कम्प्युटर इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि. तथा 2. अध्यापन/उद्योग/कम्प्युटर केन्द्र/शोध कार्य का समुचित स्तर पर 5 वर्ष का अनुभव. टिप्पण:-कम्प्युटर विज्ञान/इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक कार्य सहित कम्प्युटर (सॉफ्ट वेयर) उद्योग/व्यवसाय में लगे/कम्प्युटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में पी.एच.डी. अभ्यर्थी भी पात्र होंगे.		
प्रापन/उद्योग/ अभ.						
विज्ञान में, समतुल्य कर						
संबंधित						
ज्ञान में पोस्ट						
में अध्यापन की किसी स्तर श्रेणी में						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					वांछनीय:- कम्प्यूटर उपयोजन (एप्ली-केशन) के मामले में कम्प्यूटर विज्ञान में पी.एच.डी. या शोधोत्तर कार्य.
	3. व्याख्याता	21	30		कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या कम्प्यूटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.
	4. कार्यक्रमक	21	30		इंजीनियरी में स्नातक उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की गणित/भौतिकी/सांख्यिकी/आपरे-शन शोध में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि जिसके साथ कोबल/कार्यक्रम बनाने के कार्य का एक वर्ष का अनुभव. या इलेक्ट्रॉनिक या कम्प्यूटर विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि. या कम्प्यूटर उपयोजन कार्यक्रम प्रोग्रामिंग में पत्रोपाधि/उच्चतर पत्रोपाधि जिसके साथ कम्प्यूटर पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव.
	5. ज्येष्ठ अनुदेशक (रासायनिक)	21	30		वांछनीय अर्हता:- डी.एम.एस./स्प्रेड शीट का अनुभव. टिप्पण:- ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनुभव में छूट स्वीकार्य होगी जिनके पास ऊपर पैरा (1) में उल्लिखित अर्हता सहित कम्प्यूटर उपयोजन (एप्लीकेशन) तथा कार्यक्रम बनाने संबंधी (प्रोग्रामिंग) पत्रो-पाधि/उच्चतर पत्रोपाधि हो.
	6. ज्येष्ठ अनुदेशक (विज्ञान)	21	30		रसायन इंजीनियरी में स्नातक उपाधि. भौतिक शास्त्र/रसायनशास्त्र/गणित में स्नातकोत्तर उपाधि.

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
जन (एप्ली- टर विज्ञान कार्य. इंजीनियरी श्रेणी में हस्त) में उपाधि. ताधि या वेद्यालय /आपरे- द्वितीय । डि) ताने के अनुभव. विज्ञान में साधि. । प्रोग्रामिंग धि जिसके ले का एक ।/स्प्रेड शीट लेए अनुभव के ५. ऊपर अर्हता सहित हस्त) तथा (मिग) पत्रो- ह उपाधि पित में	जनशक्ति नियोजन विभाग	पोलीटेकनिक तथा तकनीकी शाला 1. विभागाध्यक्ष (तक- नीकी), सिविल/यांत्रिक /विद्युत/टी.वी. इंजीनि- यरी/दूरसंचार/दूरदर्शन/ अनुप्रयुक्त यांत्रिकी/ घातु विज्ञान/आटो मोबाइल/वस्त्र संर- चनात्मक इंजीनियरी/ खनन/खनन सर्वेक्षण/ नगर निवेश तथा स्था- पत्यकला/ निवेश तथा स्थापत्यकला मानचित्र- कला/उत्पादन इंजीनियरी/ रासायनिक इंजीनियरी	50	अनिवार्य:- 1. इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/तक- नीशियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में बुनियादी उपाधि, और 2. समुचित स्तर पर अध्यापन/उद्योग और शोधकार्य में पांच वर्षों का अनु- भव. टिप्पण:- उद्योग/व्यवसाय के अभ्यर्थी भी, जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि के सम- तुल्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक कर्मा का अनुभव ही, पात्र होंगे. वांछनीय:- इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/तक- नीशियन शिक्षा की समुचित शाखा में पी.एच.डी. की उपाधि. 2. विभागाध्यक्ष, चिकित्सा प्रयोगशाला/प्रौद्योगिकी	50	एम.बी.बी.एस. के साथ पांच वर्षों का अनुभव, जिनमें से दो वर्षों का विकृति विज्ञान या जीवाणु- विज्ञान विभाग में कार्य करने का अनुभव. या विकृति विज्ञान में एम.डी. के साथ तीन वर्षों का अनुभव. 3. विभागाध्यक्ष, औषध विज्ञान फार्मसी (तकनीकी)	50	(1) बी. फार्मा. की बुनियादी उपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में एम. फार्मा. तथा (2) अध्यापन/या शोध कार्य में पांच वर्षों का अनुभव. 4. विभागाध्यक्ष, वाणिज्यिक कार्य प्रणाली	50	1. वाणिज्य में पी.एच.डी. की उपाधि और 2. समुचित स्तरों पर अध्यापन/उद्योग और शोध कार्य में पांच वर्षों का अनुभव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. विभागाध्यक्ष सचिवालयीन कार्य प्रणाली तथा शीघ्र लेखन	..	50	1. वाणिज्यी में पी.एच.डी. की उपाधि तथा 2. समुचित स्तरों पर अध्यापन/ उद्योग और शोध कार्य में पांच वर्ष का अनुभव.	
	6. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी प्रौद्योगिकी [जिसमें कम्प्यूटर उपयोजन (एप्लीकेशन) सम्मिलित है]	..	50	कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, या कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि सहित कम्प्यूटर उपयोजन में पी.एच.डी. या कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर या कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक सहित तकनीशियन शिक्षा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर, तथा (2) उपयुक्त स्तरों पर अध्यापन/ उद्योग/कम्प्यूटर केन्द्र/शोधकार्य में पांच वर्षों का अनुभव.	
	7. विभागाध्यक्ष, विडियो उत्पादन	..	50	1. भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी में उपाधि तथा 2. फोटोग्राफी में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि के साथ ही आठ वर्ष का अध्यापन तथा/ या व्यावसायिक अनुभव.	
	8. विभागाध्यक्ष, मुद्रण (लेटर प्रेस)	..	50	किसी मान्यता प्राप्त संस्था/मंडल/ विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी (लेटर प्रेस) में कम से कम प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि और साथ ही मुद्रण प्रौद्योगिकी (लेटर प्रेस) में कम से कम या तो आठ वर्षों का व्यावहारिक अनुभव या अध्यापन तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर आठ वर्षों का ऐसा व्यावहारिक अनुभव.	

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
की उपाधि ध्यापन/ पांच वर्ष इंजीनियरी/ में स्नातको- प श्रेणी में प्युटर / प्रौद्योगिकी- में स्नातक संयोजन	9. विभागाध्यक्ष, मुद्रण (फोटोलिथोग्राफी)			50	किसी माध्यता प्राप्त संस्था/ मंडल/विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी (फोटोलिथोग्राफी) आफसेट में कम से कम प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि के साथ मुद्रण प्रौद्योगिकी (फोटोलिथो- ग्राफी/समूह) के क्षेत्र में आठ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या मुद्रण प्रौद्योगिकी (फोटोलिथो ग्राफी) के क्षेत्र में कुल मिलाकर आठ वर्ष का अध्यापन या व्या- वहारिक अनुभव.	
प श्रेणी : विज्ञान/ की स्त तक- णी में ध्यापन/ वर्ष में मास्टर कोत्तर	10. वेशभूषा अभिकल्पन (डिजाइन) तथा पोषाक निर्माण			50	वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच.एस.सी.) के साथ पांच वर्षों का अनुभव. या किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ वेश अभिकल्पना और पोषाक निर्माण में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि तथा विषय में पांच वर्षों का अनुभव.	
में उपाधि में वर्ष वसायिक मंडल/ ौद्योगिकी प्रथम ही में वर्षों का ध्यापन ल मिला- व्यवहारिक	1. व्याख्याता (तकनीकी)	21		30	इंजीनियरी प्रौद्योगिकी की उपर्युक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	2. व्याख्याता विज्ञान तथा मानविकी	21		30	मानविकी तथा विज्ञान में अध्या- पन पदों के लिए अध्ययन की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.	
	3. व्याख्याता, आँषधि विज्ञान (तकनीकी)	21		30	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, या तीन वर्ष के अनुभव सहित संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
	4. व्याख्याता चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	21		30	एम.बी.बी.एस. या उसके समतुल्य कोई अन्य उपाधि जिसके साथ एक वर्ष का व्यावसायिक अनु- भव हो.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				या	
				जीव रसायन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी. या उसके समतुल्य कोई अन्य उपाधि जिसके साथ इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव.	
	5. व्याख्याता वाणिज्यिक कार्य प्रणाली	21	30	वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.	
	6. व्याख्याता वाणिज्यिक कार्य प्रणाली (शीघ्रलेखन)	21	30	वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि जिसके साथ वाणिज्यिक कार्य/सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा आणु-लिपि में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि.	
	7. व्याख्याता सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा शीघ्र लेखन	21	30	वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि	
	8 व्याख्याता सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा शीघ्रलेखन (शीघ्रलेखन के लिए)	21	30	वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें सचिवालयीन कार्य पद्धति एक विषय रहा हो	
				या	
				वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि जिसके साथ वाणिज्यिक कार्य/सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा शीघ्र-लेखन में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि हो.	
	9. व्याख्याता अनुप्रयुक्त फोटोग्राफी	21	30	1. भौतिक शास्त्र/रसायनशास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य कोई अन्य उपाधि	
				या	
				इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	
				तथा	
				2. फोटोग्राफी में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि जिसके साथ तीन वर्ष का अध्यापन तथा व्यावसायिक अनुभव हो.	

(6)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प के जिस क्रमों वर्ष स्नात-		10. व्याख्याता वीडियो उत्पादन	21	30	हिन्दी या अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ वीडियो निर्माण में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि या जनसंपर्क/फिल्म निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा	
स्नातकोत्तर पक कार्य/ या आणु- पाधि					2. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में निर्देशक/निर्माता के रूप में अनुभव. या दूरदर्शन निर्माण या टी.वी. संस्था से रिले करने का दो वर्ष का अनुभव.	
स्नातकोत्तर कार्य पद्धति		11. व्याख्याता चल चित्रिकी (सिनेमेटोग्राफी)	21	30	1. कम से कम प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा 2. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से फिल्म निर्देशन/चलचित्रिकी में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि. टिप्पण:-ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास फिल्म निर्दे- शन चलचित्रिकी का अनुभव हो.	
स्नातकोत्तर क कार्य/ ग शीघ्र- पाधि हो.		12. व्याख्याता वीडियो प्रौद्योगिकी	21	30	1. इलेक्ट्रानिक्स में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि या इलेक्ट्रानिक्स में विशेषज्ञता सहित भौतिक शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, तथा 2. किसी भी दूरदर्शन में स्टुडियो में वीडियो तथा आडियो उपकरणों के निर्देशन और अनुरक्षण का दो वर्ष का अनुभव.	
स्नातक		13. व्याख्याता कम्प्युटर उपयोजन (एप्लीकेशन्स)	21	30	कम्प्युटर उपयोजन (एप्लीकेशन) में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि, या कम्प्युटर विज्ञान/इंजीनियरी इलेक्ट्रानि- क्स में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि.	
में पत्रोपाधि यापन तथा						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	14. (क) व्याख्याता मुद्रण (लेटर-प्रेस)	21	30	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/ मंडल/विश्वविद्यालय से मुद्रण/ प्रौद्योगिकी (लेटर-प्रेस) में कम से कम प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि जिसके साथ पांच वर्ष का यांत्रिकी अक्षर योजन (कंपोजिंग) मुद्रण मशीन लेटर प्रेस ग्रुप में जिल्दबंदी की विभिन्न प्रक्रियाओं में कार्य करने का अनुभव हो जिसमें से कम से कम एक वर्ष का कनिष्ठ कार्यपालक की हैसियत से या उसके समतुल्य अध्यापन संवर्ग के किसी अन्य पद पर कार्य करने का अनुभव हो.	
	(ख) मुख्य अनुदेशक मुद्रण	21	30	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/मंडल/ विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी (लेटर-प्रेस) से कम से कम प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि जिसके साथ पांच वर्ष का यांत्रिक अक्षरयोजन (कंपोजिंग) मुद्रण मशीन लेटर-प्रेस ग्रुप में जिल्द- बंदी की विभिन्न प्रक्रियाओं में कार्य- करने का अनुभव हो जिसमें से कम से कम एक वर्ष का कनिष्ठ कार्य- पालक की हैसियत से या उसके सम- तुल्य अध्यापन संवर्ग के किसी अन्य पद पर कार्य करने का अनुभव हो.	
	(ग) व्याख्याता (फोटोलिथोग्राफी)	21	30	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/मंडल/ विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी (फोटोलिथोग्राफी) से कम से कम प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि जिसके साथ प्रोसेस ब्लॉक बनाने और कला के क्षेत्र में मुद्रण प्रौद्योगिकी का कम से कम पांच वर्ष का अध्यापन का व्यावहारिक अनु- भव जिसमें से एक वर्ष का कनिष्ठ कार्यपालक या उसके समकक्ष, अध्या- पन प्रवर्ग में किसी अन्य पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	
	15. व्याख्याता वेपथूषा अभिकल्प तथा पोषाक निर्माण	21	30	वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एच. एस.सी.)	

या

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रा संस्था/ से मुद्रण/ में कम से पाधि जिसके वकी अक्षर मशीन लैटर विभिन्न का अनुभव एक वर्ष में हैसियत ध्यापन संवर्ग नियम करने					या किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वैज्ञानिक अभिकल्प तथा पोषाक निर्माण में प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि.	
संस्था/मंडल/ पीछी प्रथम श्रेणी पांच वर्ष कंपोजिंग) रूप में जिस्- ओं में कार्य- समय से कम सष्ठ कार्य- उसके सम- किसी अन्य अनुभव हो.		16. वीडियो अभिलेखक (रिकार्डिस्ट)	21	30	इलेक्ट्रॉनिक में द्वितीय श्रेणी में उपाधि तथा किसी प्रतिष्ठित टी. वी./वीडियो स्टूडियो में दो वर्ष के कार्य का अनुभव. या किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ मंडल विश्वविद्यालय से चलचित्र में पत्रो- पाधि और सम्पादन/ध्वनि अभिलेखन में विशेषज्ञता तथा साथ में तीन वर्षों का व्यावहारिक अनुभव.	
संस्था/मंडल/ पीछी प्रथम श्रेणी पांच वर्ष कंपोजिंग) रूप में जिस्- ओं में कार्य- समय से कम सष्ठ कार्य- उसके सम- किसी अन्य अनुभव हो.		17. आलेखक	21	30	1. हिन्दी/अंग्रेजी में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. और 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्व- विद्यालय से आलेखन नाटक/ टी.वी. प्रस्तुतिकरण में पत्रोपाधि और साथ ही किसी प्रतिष्ठित संस्था में आलेखक/ निर्देशक/अभिनेता/निर्माता के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव. या किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से फिल्मकारन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और साथ में किसी प्रतिष्ठित संस्था में आलेखक/निर्देशक/अभिनेता/निर्माता के रूप में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव.	
संस्था/मंडल/ पीछी प्रथम श्रेणी पांच वर्ष कंपोजिंग) रूप में जिस्- ओं में कार्य- समय से कम सष्ठ कार्य- उसके सम- किसी अन्य अनुभव हो.		18. वीडियोग्राफर	21	30	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से वीडियो प्रस्तुतिकरण (प्रॉडक्शन) में पत्रोपाधि द्वितीय श्रेणी में. या विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि और साथ ही वीडियोग्राफी द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र दिग्दर्शक-वीडियो कैमरा चलाने का व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमोन दिया जायेगा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	19. कैमरामेन	21	30	<p>किसी मान्यता प्राप्त मंडल से वीडियो प्रस्तुतिकरण (प्रोडक्शन) में द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि.</p> <p>या</p> <p>विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि साथ ही वीडियोग्राफी में द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र.</p> <p>टिप्पण:- वीडियो कैमरा चलने का व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिष्ठान दिया जायेगा.</p>	
	20. कार्यक्रमक (प्रोग्रामर) तंत्र विश्लेषक (सिस्टम एनालिस्ट)	21	30	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक उपाधि या गणित/भौतिकशास्त्र/सांख्यिकी/आपरेशन शोध में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कोबाल/फोरटान/हुनियादी अभिकलित्र (कम्प्यूटर) कार्यक्रमण पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव.</p> <p>या</p> <p>इलेक्ट्रानिक्स या कम्प्यूटर विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि</p> <p>या</p> <p>कम्प्यूटर उपयोजन कार्यक्रमण में पत्रोपाधि/उत्तरपत्रोपाधि के साथ कम्प्यूटर पर एक वर्ष कार्य करने का अनुभव.</p> <p>वांछनीय अर्हताएं:- डी.एम.एस./स्प्रेड शीट का अनुभव.</p> <p>टिप्पण:- उन अभ्यर्थियों को अनुभव में छूट दी जायेगी जिनके पास कम्प्यूटर उपयोजन कार्यक्रमण में पत्रोपाधि/उत्तर पत्रोपाधि तथा ऊपर पैरा (1) में उल्लिखित अर्हताएं हों.</p>	
	21. कलाकार	21	30	<p>किसी मान्यता प्राप्त मंडल से अनुप्रयुक्त कला में विशेषज्ञता सहित ललित तथा अनुप्रयुक्त कला में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पंचवर्षीय राष्ट्रीय पत्रोपाधि.</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त मंडल से रेखांकन तथा चित्रकार में विशेषज्ञता सहित कम से कम द्वितीय श्रेणी में ललित तथा अनुप्रयुक्त कलाओं में पंचवर्षीय राष्ट्रीय पत्रोपाधि.</p>	

(6)

1 से वीडियो
द्वितीय श्रेणी

अनुसूची तीन-अ

[नियम 6 के उपनियम (1) का खण्ड (घ) देखिये]

द्वितीय श्रेणी में
वीडियोग्राफी
अधि/प्रमाण-

सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए गए अशासकीय पॉलीटेकनिक अध्यापनवृन्द का आमेलन

लाने का व्या-
गले अभ्यर्थियों
में

1. इस अनुसूची में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— (एक) "पॉलीटेकनिक" से अभिप्रेत है तथा उसके अन्तर्गत आती है ऐसी कोई भी अशासकीय पॉलीटेकनिक संस्था, चाहे यह किसी भी नाम की हो, जिसे सम्बद्ध अशासकीय पॉलीटेकनिक या संघटक पॉलीटेकनिक के रूप में राज्य के मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल के विशेषाधिकार दिये गये हों और जो सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए गए हों.

विद्यालय से
उपाधि या
की/आपरेशन
तीय श्रेणी में
थ ल/
लित्र (कम्प्यू
करने का

(दो) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार.

(तीन) "कर्मचारीवृन्द" से अभिप्रेत है उस समय का जबकि पॉलीटेकनिक सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, प्राचार्य तथा अशासकीय पॉलीटेकनिक की स्थायी या अस्थायी या संविदा सेवा की समस्त श्रेणियों के अध्यापन कर्मचारीवृन्द.

(चार) "अनुवीक्षण समिति" से अभिप्रेत है ऐसी समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित लोक सेवा आयोग का सदस्य.

(ख) सचिव, जनशक्ति नियोजन विभाग,

(ग) संचालक, तकनीकी शिक्षा और

(घ) दो प्राचार्य (शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का एक एवं पॉलीटेकनिक से एक).

विज्ञान में
उपाधि

क्रम में पत्रो-
पाथ कम्प्यूटर
का अनुभव.

.एस./सैड शीट

नो अनुभव में
पास कम्प्यूटर
पत्रोपाधि/उत्तर
(1) में उल्लि-

(पांच) अशासकीय पॉलीटेकनिक के कर्मचारीवृन्द के संबंध में "अध्यापन अनुभव" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेकनिक/इंजीनियरिंग महाविद्यालय के पत्रोपाधि/उपाधि कक्षाओं के विषय का कुल अध्यापन अनुभव किन्तु इसमें मानसेवी या अशकालीन आधार पर किया गया अध्यापन कार्य सम्मिलित नहीं होगा.

2. अनुवीक्षण समिति कर्मचारीवृन्द को सरकारी सेवा में आमेलित किये जाने के मामले पर विचार करेगी.

3. अनुवीक्षण समिति उपयुक्त पदों पर आमेलन हेतु उसको सौंपे गये मामलों पर विचार करेगी और निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं के तहत विचार करेगी—

(एक) कोई भी व्यक्ति उस पद पर संविलियत नहीं किया जाएगा जो मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) भर्तीनियम 1967 में विहित न्यूनतम अर्हताएं न रखता हो.

(दो) कोई भी व्यक्ति सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा यदि उसे सरकारी या किसी अन्य सेवा में किसी भी समय कदाचार और या दंडिक अपराध के साक्षित होने पर पद से हटाया गया था या पदच्युत किया गया था.

(तीन) कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा यदि उसमें आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिचारिकी की आयु प्राप्त कर ली हो.

त से
ज्ञता
युक्त
तीय श्रेणी
पाधि.

1 से
में विशेष-
द्वितीय
प्रयुक्त
तीय

4. (1) व्याख्याताओं के पदों के आमेलन के मामलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में ऐसे किसी पद पर आमेलित नहीं किया जायेगा, जिसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से उच्चतर हो, जिन्हें पर ऐसा व्यक्ति सरकार द्वारा अशासकीय पालीटेकनिक ग्रहण कर लिये जाने के पूर्व कार्य कर रहा था।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा व्याख्याता पद से उच्च पद पर नियुक्ति के लिए अग्रहित कर दिया गया हो, उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उसे अग्रहित कर दिया गया था।

(3) पालीटेकनिक के प्राचार्य के रूप में आमेलित किए जाने के लिए सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए गये पालीटेकनिक के प्राचार्य के रूप में कार्यरत व्यक्ति को इस अनुसूची में विहित अन्य शर्तों के अतिरिक्त कम से कम 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव और या शोध कार्य/व्यावहारिक अनुभव जिसमें से 4 वर्ष का अध्यापन, जिसमें शोध कार्य सम्मिलित है; आवश्यक होगा।

5. अनुवीक्षण समिति इस अनुसूची में के सुरंगत उपबन्धों पर विचार करने के पश्चात् उपयुक्त सिफारिशों राज्य सरकार को उपयुक्त सिफारिश करेगी। अनुवीक्षण समिति की सिफारिश सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने पर सरकार द्वारा आमेलित आदेश जारी किया जाएगा।

6. (1) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता पालीटेकनिक को सरकार द्वारा ग्रहण कर लिये जाने की तारीख से प्राप्त करेगा, अर्थात् आमेलन की तारीख के पूर्व उस पद/संवर्ग (केडर) में लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत किये गये विद्यमान अंतिम सरकारी सेवक के नीचे उसे रखा जाएगा।

2- (क) पालीटेकनिक से आमेलित किये गए व्यक्ति की पारस्परिक ज्येष्ठता बही रहेगी जो उसे पालीटेकनिक सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए जाने से अत्यवहित पूर्व रही थी।

(ख) जब किसी एक ही तारीख को राज्य सरकार द्वारा एक से अधिक पालीटेकनिक शासन द्वारा ग्रहण कर लिये जाते हैं तो ऐसे पालीटेकनिक से आमेलित व्यक्तियों के बीच ज्येष्ठता किसी विशिष्ट पद पर कुल लगातार सेवा अवधि के आधार पर अवधारित की जावेगी। किन्तु उसमें ऐसी कालावधि अपवर्जित रहेगी जिसके दौरान शुद्धतया अंतरिम या आकस्मिक व्यवस्था लिये नियुक्ति की गई हो।

(ग) खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब एक ही तारीख को सरकार द्वारा एक से अधिक पालीटेकनिक ग्रहण कर लिए जाएं और किसी व्यक्ति को उस पालीटेकनिक में जहां से उसे लिया गया, उसके द्वारा धारित पद की अपेक्षा निम्न पद पर आमेलित किया जाए, तब उसका नाम ऐसे समस्त व्यक्तियों के ऊपर जो उस पद पर आमेलित किये गये हैं और जो सरकार द्वारा ग्रहण कर लिये गये पालीटेकनिक में वैसा ही पद धारण कर रहे हों, रखा जाएगा।

(घ) जब आमेलित पद पर ज्येष्ठ व्यक्ति द्वारा की गई सेवाएं ऐसे पद में आमेलित किये गए कनिष्ठ व्यक्ति की सेवा की कालावधि से कम हों तब कनिष्ठ व्यक्ति की सेवा की कालावधि ज्येष्ठ व्यक्ति की सेवा की कालावधि के बराबर समझा जाएगी और ऐसी सेवा के अवधारण के आधार पर उसकी ज्येष्ठता की कल्पित तारीख नियत की जाएगी।

(ङ) अन्य बातें समान होने पर अधिक आय वाले व्यक्ति को कम आय वाले व्यक्ति के ऊपर ज्येष्ठता दी जाएगी।

7. किसी अशासकीय पालीटेकनिक में कार्य कर रहे व्यक्ति को, सरकारी सेवा में उसके आमेलित किये जाने पर, कि अवकाश को आगे ले जाने (कैरीफारवर्ड) के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

वा में ऐसे किसी पद पर
सरकार द्वारा अशासकीय

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति अशासकीय पोलिटेकनिक में की गई सेवा के संबंध में, अवकाश वेतन अभिदाय (लीव सेलरी कन्ट्रीब्यूशन) का भुगतान कर दे, तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लीव रूल्स 1977) में विहित निर्बन्धनों तथा अधिकतम सीमा के अन्तर्गत रहते हुए आगे ले जाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

पद पर नियुक्ति के लिए
उसे अग्रहित कर दिया

8. इस अनुसूची के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकारी सेवा में आमेलित कोई भी व्यक्ति इस तथ्य के आधार पर कि वह पूर्व में ही अशासकीय पोलिटेकनिक द्वारा सेवा में स्थायी किया गया था, सरकारी सेवा में स्थायी किये जाने हेतु अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करेगा. ऐसे व्यक्तियों का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा.

लिए गये पोलिटेकनिक
कम 8 वर्ष का अध्यापक
मिलित है; आवश्यक होने

9. (क) सरकारी सेवा में आमेलित किसी अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिसको उसकी नियुक्ति/पदोन्नति का अनुमोदन, संबंधित पोलिटेकनिक के शासीनिकाय द्वारा किया गया हो. उपयुक्त तारीख को ऐसे अधिकारी का वेतन उस पद के जिस पर उसे आमेलित किया है वेतनमान के न्यूनतम पर सैद्धांतिक रूप से नियत किया जाएगा. यहाँ किसी ऐसे अधिकारी को, जो सरकारी सेवा में अपने आमेलन के पूर्व प्राचार्य/विभागाध्यक्ष का पद धारण किए हुए था, व्याख्याता के पद पर आमेलित किया जाता है और जो व्याख्याता के पद के समय वेतनमान के अधिकतम या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो उसके द्वारा आहरित मूल वेतन ऐसी रीति में सुरक्षित रखा जाएगा जिससे कि उसका मूल वेतन व्याख्याता के वेतनमान के अधिकतम के बराबर रहे और अन्तर को वैयक्तिक वेतन माना जाएगा जो कि पदोन्नति के पद के वेतन की वृद्धि में आमेलित किया जाएगा.

ग्रहण कर लिये जाने
ग द्वारा भर्ती किये गये
रखा जाएगा.

स्पष्टीकरण.— यदि संबंधित पोलिटेकनिक के शासीनिकाय का अनुमोदन उस पद से उच्च पद हेतु प्राप्त हो जिस पर उसे आमेलित किया गया है तो उक्त अनुमोदन उसी तारीख से आमेलित पद के लिए अनुमोदन समझा जाएगा.

उसे पोलिटेकनिक सरकारी

द्वारा ग्रहण कर लिये जाने
सेवा अवधि के आधार
या आकस्मिक व्यवस्था

(ख) तारीख 19-11-84 को या आमेलन की तारीख को, इनमें से जो भी बाद में हो, आमेलित अधिकारी के वेतन की गणना ऐसे अनुमोदन की तारीख के पश्चात् की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उसको लागू वेतनमान में वेतन वृद्धि मंजूर की जाने के पश्चात् की जाएगी.

क से अधिक पोलिटेकनिक
द्वारा धारित पद की अपेक्षा
पर आमेलित किये गये
जा

(ग) यदि उक्त तारीख को नोशनल आधार पर परिगणित वेतन वास्तविक वेतन से अधिक है तो ऐसे अधिकारी को वास्तविक वेतन ही प्राप्त होता रहेगा और उसे नोशनल गणना में निर्धारित तारीखों को आगामी वेतन वृद्धियाँ दी जाएगी.

कनिष्ठ व्यक्ति की सेवा
तत्पश्चात् के बराबर सम
जाएगी.

(घ) यदि उस तारीख को वास्तविक वेतन नोशनल आधार पर परिगणित वेतन से अधिक हो तो उस अधिकारी का वेतन नोशनल वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और अन्तर राशि को वैयक्तिक वेतन माना जाएगा जो कि आगामी वेतन वृद्धि या वेतन वृद्धियों में आमेलित किया जाएगा.

पर ज्येष्ठता दी जाएगी.

स्पष्टीकरण.— वास्तविक वेतन से अभिन्न है मूल वेतन और वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो.

मिलित किये जाने पर, कि

10. इस अनुसूची में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो इस अनुसूची के उपबन्ध लागू होते हैं ऐसी रीति में, जो उसे उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शासन की शक्ति को सीमित या कम करती है. परन्तु मामले में किसी ऐसी रीति में कार्यवाही नहीं की जायेगी, जो उसे अनुसूची में उल्लिखित रीति से कम अनुकूल हो.

अनुसूची - चार

[नियम - 14 (1) देखिये]

विभाग का नाम	सेवा अथवा पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जानी हो	सेवा अथवा पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जानी हो	पदोन्नति के लिये अपेक्षित अनुभव	शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	नियम- 13 के अनुसार विभागीय पदोन्नति के सदस्य का नाम.	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जनशक्ति नियोजन विभाग	प्राध्यापक (तकनीकी) शा. इंजीनियरी महाविद्यालय	प्राचार्य, शा. इंजीनियरी महाविद्यालय	5 वर्ष	अनिवार्य : 1. इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की प्रथम श्रेणी की उपाधि सहित पी. एन. डी. और 2. अध्यापन/उद्योग/शोध में 10 वर्ष का अनुभव. टिप्पण : डॉक्टरेट के समतुल्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक स्तर के उद्योग/व्यवसाय से संबंधित अभ्यर्थी भी पात्र होंगे.	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव-सदस्य 3. संचालक, तकनीकी शिक्षा-सदस्य	
	पोलीटेकनिक विभागाध्यक्ष, पोलीटेकनिक (तकनीकी) विशेषज्ञ शिक्षक पोलीटेकनिक	प्राचार्य, पोलीटेकनिक महिला, पोलीटेकनिक	5 वर्ष	अनिवार्य : 1. इंजीनियरी में मूल उपाधि सहित इंजीनियरी प्रौद्योगिकी/ तकनीकियन शिक्षा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य-अध्यक्ष.	
				वाछनीय : उत्तरदायित्व पूर्ण पद का प्रशासनिक अनुभव.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>पोलीटेकनिक विभागाध्यक्ष, पोलीटेकनिक (तकनीकी) विशेषज्ञ शिक्षक पोलीटेकनिक</p>	<p>प्राचार्य, पोलीटेकनिक महिला, पोलीटेकनिक</p>	<p>5 वर्ष</p>	<p>1. इंजीनियरी में मूल उपाधि—द्वि- इंजीनियरी प्रौद्योगिकी/ तकनीकी शिक्षा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि</p>	<p>और</p>	<p>1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य—अध्यक्ष.</p>	
<p>इंजीनियरी महाविद्यालय तथा पोलीटेकनिक से कनिष्ठ अनुदेशक/मानचित्रकार उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय का प्रधान अनुदेशक, जिसके पास यात्रिक, इंजीनियरी की पत्रोपाधि हो.</p>	<p>सहायक कर्मशाला अधीक्षक, (पोलीटेकनिक)</p>	<p>5 वर्ष</p>	<p>यात्रिक इंजीनियरी या उसके समतुल्य कोई उपाधि द्वितीय श्रेणी में अथवा तीन वर्ष के व्यावसायिक/अध्यापन अनुभव सहित यात्रिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि.</p>		<p>1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य— अध्यक्ष</p> <p>2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव—सदस्य.</p>	
<p>2. उपयुक्त स्तरों पर अध्यापन/ उद्योग तथा शोध में पांच वर्ष का अनुभव. दिपण : स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक स्तर के उद्योग/व्यवसाय से संबंधित अभ्यर्था भी पात्र होंगा</p>	<p>वाञ्छनीय : इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/ तकनीकियन शिक्षा की उपयुक्त शाखा में पी. एच. डी. की उपाधि.</p>		<p>2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव—सदस्य</p> <p>3. संचालक, तकनीकी शिक्षा सदस्य.</p> <p>4. इंजीनियरी महाविद्यालयों के के दो ज्येष्ठ प्राचार्य—सदस्य</p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय

उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय का कर्मशाला फोरमेन/यात्रिक व्याख्याता/बैद्युत व्याख्याता.

प्राचार्य,
उच्चतर
माध्यमिक
तकनीकी
विद्यालय

5 वर्ष

एक वर्ष के व्यावसायिक/अध्यापन अनुभव सहित यात्रिक/बैद्युत इंजीनियरी में स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि अथवा यात्रिक/बैद्युत में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि या उसके समतुल्य उपाधि तथा तकनीकी शिक्षा/कर्मशाला/अध्यापन का लगभग पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य -अध्यक्ष.
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य.
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा -सदस्य
4. इंजीनियरी महाविद्यालयों के दो ज्येष्ठ प्राचार्य-सदस्य.

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के सहायक कर्मशाला फोरमेन/तकनीकी सहायक/कर्मशाला सहायक/मानचित्रकार यात्रिक.

2. पोलिटेक्निक के कनिष्ठ अनुदेशक यात्रिक/मानचित्रकार यात्रिक.

3. उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के प्रधान अनुदेशक.

उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के कर्मशाला फोरमेन 5 वर्ष

यात्रिक इंजीनियरी में पत्रोपाधि या उसके समतुल्य उपाधि तथा तीन वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य-अध्यक्ष.
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -सदस्य

3. संचालक, तकनीकी शिक्षा-सदस्य.
4. इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के दो ज्येष्ठ प्राचार्य-सदस्य

3. संचालक, तकनीकी शिक्षा—सदस्य.
4. इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के दो ज्येष्ठ प्राचार्य—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के प्रधान अनुदेशक.	उच्चतर माध्यमिक तकनीकी शिक्षा—सदस्य.					
4. इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के दो ज्येष्ठ प्राचार्य—सदस्य	इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के दो ज्येष्ठ प्राचार्य—सदस्य					
4. कला निकेतन के कनिष्ठ अनुदेशक/यात्रिक सहायक कर्मशाला फोरमेन.	कला निकेतन के कनिष्ठ अनुदेशक/यात्रिक सहायक कर्मशाला फोरमेन.	उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के व्याख्याता यात्रिक	5 वर्ष	यात्रिक इंजीनियरी में उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि, - या - यात्रिक इंजीनियरी में पत्रोपाधि या उसके समतुल्य उपाधि तथा तीन वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.		
1. इंजीनियरी महा विद्यालय के सहायक कर्मशाला फोरमेन यात्रिक/तकनीकी सहायक (यात्रिक)/कर्मशाला सहायक (यात्रिक) कर्मशाला सहायक (यात्रिक)	इंजीनियरी महा विद्यालय के सहायक कर्मशाला फोरमेन यात्रिक/तकनीकी सहायक (यात्रिक)/कर्मशाला सहायक (यात्रिक) कर्मशाला सहायक (यात्रिक)	उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के व्याख्याता यात्रिक	5 वर्ष	यात्रिक इंजीनियरी में उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि, - या - यात्रिक इंजीनियरी में पत्रोपाधि या उसके समतुल्य उपाधि तथा तीन वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.		
2. पोलिटेकनिक के कनिष्ठ अनुदेशक (यात्रिक)/मानचित्रकार (यात्रिक).	पोलिटेकनिक के कनिष्ठ अनुदेशक (यात्रिक)/मानचित्रकार (यात्रिक).					
3. उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के प्रधान अनुदेशक.	उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के प्रधान अनुदेशक.					
4. कलानिकेतन के कनिष्ठ अनुदेशक (यात्रिक)/सहायक कर्मशाला फोरमेन.	कलानिकेतन के कनिष्ठ अनुदेशक (यात्रिक)/सहायक कर्मशाला फोरमेन.					
1. इंजीनियरी महाविद्यालय के तकनीकी सहायक (विद्युत्) कर्मशाला सहायक (विद्युत्) विद्युत् सहायक (विद्युत्)	इंजीनियरी महाविद्यालय के तकनीकी सहायक (विद्युत्) कर्मशाला सहायक (विद्युत्) विद्युत् सहायक (विद्युत्)	उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के व्याख्याता (विद्युत्)	5 वर्ष	विद्युत् इंजीनियरी में उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि - या - विद्युत् इंजीनियरी में पत्रोपाधि या उसके समतुल्य उपाधि तथा तीन वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.		
2. पोलिटेकनिक के कनिष्ठ अनुदेशक (विद्युत्) मानचित्रकार (विद्युत्)	पोलिटेकनिक के कनिष्ठ अनुदेशक (विद्युत्) मानचित्रकार (विद्युत्)					

1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य—अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव—सदस्य.
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा—सदस्य
4. इंजीनियरी महाविद्यालयों के दो ज्येष्ठ प्राचार्य—सदस्य.

1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य—अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव—सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3. उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय के प्रधान अनुदेशक (विद्युत)				3. संचालक, तकनीकी शिक्षा—सदस्य	
	4. कला निकेतन के कमिष्ठ अनुदेशक (विद्युत)				4. इंजीनियरी महाविद्यालयों के दो ज्येष्ठ प्राचार्य—सदस्य	
				टिप्पणी— 1. ए. एम. आई. ई. की अर्हता, (ए. एम. आई. ई. के खण्ड अ और व उतीर्ण) को द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समतुल्य माना जाएगा.		
				टिप्पणी— 2.50 अंकों के साथ पास श्रेणी को द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समतुल्य माना जाएगा.		
					मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डॉ. पी. सी. शर्मा, उपसचिव.	
					भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 1991	
					क्र. एफ. 1-163-89-बयालीस.- भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-163-89-बयालीस-1, दिनांक 13 फरवरी 1991 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.	
					मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डॉ. पी. सी. शर्मा, उपसचिव.	

Bhopal, the 13th February 1991

No. F. 1-163-89 XLII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service, teaching cadre recruitment rules, namely:—

RULES

1. Short title.—These rules may be called the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1990.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Government;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;
- (d) "Schedule" means a schedule appended to these Rules;
- (e) "Scheduled Castes" means, any caste, race or tribe of part of or group within a caste, race or tribe specified as scheduled castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (f) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service.

3. Scope and application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service.—The Service shall consist of the following persons, namely:—

- (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay, etc.—The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment by Competitive Examination/Selection;
- (b) by promotion of members already in the service specified in column(2) of Schedule-IV;
- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts as specified in Schedule-II;
- (d) by absorption of Teaching staff of non Government Polytechnics taken over by the Government in the manner specified in Schedule III-A.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts, as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular post or posts in the Service as may be required to be filled during any Particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with prior concurrence of the Personnel Administrative Reforms and Training Department adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service.—All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. Conditions of eligibility of direct recruits.—In order to be eligible to compete at the examination/selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(i) Age.—(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or who have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the condition specified below:—

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the Project Implementing Committees.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-servicemen will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit more than three years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economic Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on—
(a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-servicemen invalidated out of service;
- (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soliders;
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (d) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.
- (e) The General upper age limit shall be 35 years irrespective of widow destitute, and divorced women candidates.
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of those candidates who are Green Card holders under the Family Welfare Programme.
- (g) The general upper age limit shall be relaxed upto 5 years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the Inter Caste Marriage incentive scheme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.
- (h) The general upper age limit shall also be relaxed upto 5 years in respect of "Vikrama Award" holders candidates.
- (i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note.—Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8 (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination.

(ii) **Educational Qualifications.**—He must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III.

Provided that (a) in exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examinations conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination/consideration of the candidate for selection; and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for selection/admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(iii) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission/selection to the examination.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidate shall be final.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate from a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be interviewed.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination.—(1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission from time to time determine.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders as the Government from time to time issue in consultation with the Commission.

(3) 15 per cent and 18 per cent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes recommended by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes having requisite qualifications are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised exclusively for these candidates. If even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as the case may be, during the subsequent selections:

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forwarded) shall not at any time exceed forty five per cent of the total vacancies advertised.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the post by direct recruitment and in the opinion of Public Service Commission it is found that the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved post then the Public Service Commission may release the condition of experience in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidate.

11 (A) Direct Recruitment by selection.—(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Commission after interviewing them.

(3) 15 per cent and 18 per cent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice if selection is to be made by interviews exclusively for these candidates. If even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, during the subsequent selection;

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed forty five per cent of the total vacancies from time to time advertised.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Public Service Commission it is found that the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the Public Service Commission may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates.

12. List of candidates recommended by the Commission.—(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Commission.

13. Appointment by promotion.—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 15% and 18% of the available vacancies for promotion in such posts in which the percentage of promotion is ten per cent or more, shall be reserved for officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14 (in the case of class I posts above reservation will be admissible from lowest rank of the cadre).

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the Government in the General Administration Department from time to time.

14. Condition of eligibility for promotion.—(1) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service in the posts mentioned in column (2) of the Schedule IV or any other post/posts declared equivalent thereto by the Government and who fulfil the academic qualification and experience as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zones of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2):

Provided that after appointment to the service of the released officers of emergency and short service commission after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in accordance with General Administration Department Memo No. 2266-1987-I-3-67, dated the 21st October, 1967:

Provided further that a junior person shall not be considered for select grade/promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list, in respect of posts filled on the basis of merit-cum-seniority.

Provided that if the required number of suitable officers are not available in the field, so determined, the field to be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reasons in writing.

15. Preparation of list of Suitable officers.—(1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the Service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post specified in column (2) of Schedule-IV, at the time of preparation of each select list:

Provided that any junior officer who in the opinion of the committee, is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation :— A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of the earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede, any member of the Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. Consultation with the Commission :— The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub clause (b) of clause (3) of Article 320 of the constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

17. Select List.—(1) The list as finally approved by the Government shall form the select list for promotion of members of the service as specified in column (3) of Schedule IV from column (2) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, and if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the Service from the select list.— (1) Appointments of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

Provided that, where administrative exigancies so require, a person whose name is not included in the select list but who is next in order in the Select List, may be appointed to the Service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Probation.— Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation.— If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal and saving.— All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P. C. SHARMA, Dy. Secy.

SCHEDULE — I
(See rule - 5)

ENGINEERING COLLEGE

No. Name of post included
in the service
(2)

No. of post Classification Scale of Pay Remarks
(3) (4) (5) (6)

TECHNICAL

Principal

Professor 72

(1) Civil Engineering

(2) Mechanical Engineering

(3) Electrical Engineering

(4) Applied Mechanics

(5) Electronics

(6) Chemical Engineering

(7) Mining Engineering

(8) Metallurgy

(9) Industrial Engineering/Production Engg.

(10) Light Metals and Alloy Technology

(11) Computer Science

(12) Architecture

Reader 164

(1) Civil Engineering

(2) Mechanical Engg.

(3) Electrical Engg.

(4) Applied Mechanics

Class-I 3700—5700 (AICTE)

Note.— "AICTE" means, All India Council for Technical Education.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(5) Electronics	20			
	(6) Chemical Engg.	06			
	(7) Mining Engg.	11			
	(8) Metallurgy	03			
	(9) Light Metals & Alloy Tech.	02			
	(10) Architecture	04			
	(11) Engineering Chemistry	02			
	(12) Computer Engg.	01			
4.	Workshop Superintendent	08	Class—I	3700—5700 (AICTE)	
5.	Training and placement Officer (Professor)	02	Class—I	4500—7300 (AICTE)	
6.	Training and placement Officer (Lecturer)	04	Class—I	2200—4000 (AICTE)	
7.	Training and Leave Reserve (Professor)	02	Class—I	4500—7300 (AICTE)	
8.	Training and Leave Reserve (Reader)	09	Class—I	3700—5700 (AICTE)	
9.	Training and Leave Reserve (Lecturer)	13	Class—I	2200—4000 (AICTE)	
10.	Assistant Workshop Superintendent	17	Class—I	2200—4000 (AICTE)	
11.	Lecturer 249		Class—I	2200—4000 (AICTE)	
	(1) Civil Engg.	52			
	(2) Mechanical Engg.	66			
	(3) Electrical Engg.	49			
	(4) Applied Mechanics	05			
	(5) Electronics	35			
	(6) Chemical Engg.	11			
	(7) Mining Engg.	11			
	(8) Metallurgy	05			
	(9) Light Metals & Alloy Technology	01			
	(10) Computer Engg.	02			
	(11) Architecture	07			
	(12) Engineering Chemistry	05			
11.A	Senior Grade Lecturer	All posts mentioned in Serial No. 11.	Class—I	3000—5000 (AICTE)	For the purpose of placement, Lecturers in senior/select grade proced laid down in 3/4 and 5 of of Schedule I will be follow
11.B	Select Grade Lecturer	All posts mentioned in serial No. 11.	Class—I	3700—5700 (AICTE)	

Note.—"AICTE" means, All India Council for Technical Education.

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	12.	Senior Instructor (Chemical) (Dying cadre)	02		Class—II 2200—4000	..
	NON TECHNICAL					
	13.	Professor 24			Class—I 4500—7300 (AICTE)	..
ICTE)		(1) Physics	06			
ICTE)		(2) Chemistry	06			
		(3) Mathematics	07			
		(4) Geology/Applied Geology	01			
		(5) Computer Applications	04			
ICTE)	14.	Reader 27			Class—I 3760—5700 (AICTE)	
		(1) Physics	05			
CTE)		(2) Chemistry	03			
		(3) Mathematics	11			
		(4) Geology/Applied Geology	04			
		(5) Computer Applications	04			
CTE,	15.	Lecturer 120			Class—I 2200—4000 (AICTE)	..
		(1) Physics	34			
CTE)		(2) Chemistry	27			
		(3) Mathematics	31			
		(4) English	09			
CTE)		(5) Geology/Applied Geology	09			
CTE)		(6) Computer Applications	10			
	15 A.	Senior Grade Lecturer	All posts mentioned in Serial No. 15		Class—I 3000—5000 (AICTE)	For the purpose of placement of Lecturers in Senior and Select grade procedure laid down in Note 3/4 and 5 of Schedule—II will be followed.
	15 B.	Select Grade Lecturer	All posts mentioned in Serial No. 15		Class—I 3700—5700 (AICTE)	
	16.	Senior Instructor (dying cadre)	04		Class—II 2200—4000	..
		(1) Physics	02			
		(2) Chemistry	01			
		(3) Mathematics	01			
E) For the purpose of placement of Lecturers in senior/select grade procedure laid down in 3/4 and 5 of of Schedule II will be follow	17.	Programmer	13		Class-II 2200—4000	..
	POLYTECHNIC/WOMEN POLYTECHNIC					
	TECHNICAL					
		Principal	37		Class—I 4500—5700 200—6300 (AICTE)	..

Note.—"AICTE" means, All India Council for Technical Education.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Indian Team Leader Polytechnic Development Unit	01	Class-I	4500-150-5700- 200-6300 (AICTE)	..
3.	Head of the Department :—				
	(1) Civil Engg.	22			
	(2) Mechanical Engg.	30			
	(3) Electrical Engg.	29			
	(4) Electronics and T.V. Engineering	04			
	(5) Electronics and Telecommunication	06			
	(6) Television Engg.	01			
	(7) Applied Mechanics	01	Class-I	3700-125-4950- 150-5700 (AICTE)	..
	(8) Metallurgy	01			
	(9) Automobile	01			
	(10) Textile	01			
	(11) Structural Engg.	01			
	(12) Mining	03			
	(13) Mining Surveying	01			
	(14) Town Planning and Architecture	01			
	(15) Architecture Draughtsmanship	03			
	(16) Production Engg.	01			
	(17) Pharmacy	03			
	(18) Chemical Engg.	01			
	(19) Expert Teacher (Polytechnic Development unit)	04			
4.	Lecturer				
	(1) Civil Engg.	150			
	(2) Mechanical Engg.	128			
	(3) Electrical Engg.	108			
	(4) Electronics and Telecommunication Engineering	37			
	(5) Electronics and T.V. Engineering	04			
	(6) Television Engg.	05	Class-I	2200-75-2800- 100-4000 (AICTE)	..
	(7) Engineering Chemistry	08			
	(8) Metallurgy	07			
	(9) Automobile	04			
	(10) Textile Engg.	03			
	(11) Structural Engg.	02			
	(12) Town Planning and Architecture	01			
	(13) Mining	12			

Note.—"AICTE" means, All India Council for Technical Education.

[भाग 4-(ग)

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(14) Mining Surveying	02			
		(15) Architecture Draughtsmanship	04			
		(16) Pharmacy	14			
3)		(17) Production Engg.	03	Class I	2200—75—2800—100—	
		(18) Chemical Engg.	07		4000 (AICTE)	
		(19) Leave Reserve Lecturer	30			
		(20) Workshop Superintendent	30			
		(21) Training Placement Officer	11			
	4 A.	Senior Grade Lecturer	All posts mentioned in serial No. 4.	Class I	3000—5000 (AICTE)	For the purpose of placement of Lecturer in Senior and select grade procedure laid down in Note 3/4 and 5 of Schedule-II will be followed.
3)	4 B	Select Grade Lecturer	All posts mentioned in serial No. 4.	Class -I	3700—5700 (AICTE)	
	5.	Assistant Workshop Superintendent	21	Class -II	2000—3500 (State Scale)	
	6.	Assistant Lecturers: (dying cadre)				
		(1) Civil Engg.	13			
		(2) Mechanical Engg.	16			
		(3) Electrical Engg.	21			
		(4) Metallurgy	01			
		(5) Mining	01			
		(6) Textile	01	Class-II	2200—4000	
		(7) Mathematics	01		(State Scale)	
		(8) Costume Design & Dress Making	02			
		(9) Secretarial Practice and Stenography	01			
		(10) Architectural Draughtsmanship	01			
	NON TECHNICAL					
	7.	Head of the Department				
		(1) Commercial Practice	05			
		(2) Secretarial Practice and Stenography	03			
		(3) Costume Design and Dress Making	04			
		(4) Video Production	01	Class—I	3700—125—4950—	
		(5) Interior Decoration	01		150—5700 (AICTE)	
		(6) Medical Laboratory Technology	01			
		(7) Computer Applications	03			

Note.—"AICTE" means, All India Council for Technical Education.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Lecturer				
	(1) Physics	29			
	(2) Chemistry	29			
	(3) Mathematics	37			
	(4) English	36			
	(5) Botony	01			
	(6) Commercial Practice	19			
	(7) Secretarial Practice and Stenography	07	Class-I	2200—75—2800— 100—4000 (AICTE)	
	(8) Costume Design and Dress Making	03			
	(9) Computer Applications	08			
	(10) Medical Laboratory Technology	03			
	(11) Vedio Production	02			
	(12) Applied Photography	01			
	(13) Cinemotography	01			
	(14) Video Technology	01			
8 A.	Senior Grade Lecturer	All posts mentioned in Serial No. 8	Class-I	3000—5000 (AICTE)	For the purpose of placement of Lecturers in Senior and Select Grade procedure laid down in No. 3/4 and 5 of Schedule-II will be followed.
8 B.	Select Grade Lecturer	All posts mentioned in serial No. 8.	Class-I	3700—5700 (AICTE)	
9.	(1) Script Writer	01	Class-I	3000—4500	State Scale
	(2) Vedio Recordist	01			
10.	(1) Programmer	05	Class-II	2200—4000	State Scale
	(2) System Analyst	02			
	(3) Videographer	01			
	(4) Artist	01			
	(5) Cameraman	01			
11.	KALANIKETAN				
	(1) Principal	01	Class-I	3700—125—4950— 150—5700. (AICTE)	
	(2) Head of the Deptt. (Letter Press)	01	Class-I	3700—125—4950— 150—5700. (AICTE)	
	(3) Head of the Deptt. (Photolithography)	01	Class I	3700—125—4950— 150—5700. (AICTE)	

Note.—"AICTE" means, All India Council for Technical Education.

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(4) Lecturer:					
	Civil Engg.		04			
	Mechanical Engg.		02			
	Electrical Engg.		04	Class-I	2200—75—2800— 100—4000 (AICTE)	
TE)	(5) Lecturer Printing (letter press/Photolithography)		05			
	(6) Chief Instructor (Printing)		01			
	(7) Workshop Foreman		01			
	(8) Assistant Lecturer/Senior Instructor (Dying Cadre)					
	(a) Printing		02	Class-II	2200—75—2800— 100—4000 (State scale)	
	(b) Mechanical		02			
TE)	(c) Automobile		01			
TE)	For the purpose of placement of Lecturers in Senior and Self Grade procedure laid down in No. 3/4 and 5 of Schedule-II will be followed.					
TE)						
	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY TECHNICAL SCHOOL:					
	(1) Principal		12	Class-II	2375—75—3200— 100—3500—125—4125 (State Scale)	
State Scale	(2) Workshop Foreman		12	Class-II	2000—60—2300— 75—3200—100—3500. (State Scale)	
State Scale	(3) Lecturer:					
	(a) Mechanical		12	Class-II	(1) 1640—2900	
	(b) Electrical		12		(2) 2000—3500 on completion on of 12 years service and found fit by Screening. (State Scale)	
E)	(4) Lecturers (Technical Stream Courses) (Dying Cadre)					
	(a) Civil		04			
E)	(b) Mechanical		03			
E)	(c) Electrical		04			

Note.—"AICTE" means, All India Council for Technical Education.

SCHEDULE-II
(See sub-rule - 6)

S. No.	Name of the Department.	Name of service	No. of duty post	Percentage of the number of duty post to be filled			Remarks
				By direct Recruitment	By promotion substantive/temporary members of the service	By transfer of persons from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Man Power Planning Department	TECHNICAL ENGINEERING COLLEGES— CLASS-I					
1.		Principal	10	..	100%
2.		Professor 72					
		(1) Civil Engineering	18	100%	Selection
		(2) Mechanical Engg.	17	100%	Selection
		(3) Electrical Engg.	16	100%	Selection
		(4) Applied Mechanics	02	100%	Selection
		(5) Electronics	07	100%	Selection
		(6) Chemical Engg.	02	100%	Selection
		(7) Mining Engg.	03	100%	Selection
		(8) Metallurgy	01	100%	Selection
		(9) Industrial Engg./Production Engg.	02	100%	Selection
		(10) Light Metals & Alloy Technology	01	100%	Selection
		(11) Computer Science	01	100%	Selection
		(12) Architecture	02	100%	Selection
3.		Reader: 164					
		(1) Civil Engineering	36	100%	Selection
		(2) Mechanical Engg.	38	100%	Selection
		(3) Electrical Engg.	31	100%	Selection
		(4) Applied Mechanics	10	100%	Selection
		(5) Electronics	20	100%	Selection
		(6) Chemical Engg.	06	100%	Selection
		(7) Mining Engg.	11	100%	Selection
		(8) Metallurgy	03	100%	Selection
		(9) Light Metals and Alloy Technology	02	100%	Selection
		(10) Architecture	04	100%	Selection
		(11) Engineering Chemistry	02	100%	Selection
		(12) Computer Engineering	01	100%	Selection
4.		Workshop Superintendent	08			100% by transfer from the cadre of Reader Mechanical/Industrial/Production Engineering .	Nil

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Remarks	5.		Training and Placement Officer (Professor)	02	100% by transfer from the cadre of Professor (Technical)	Nil
Transfer of persons from other services	6.		Training and Placement Officer (Lecturer)	02	.	..	100% by transfer from the cadre of Lecturer (Technical)	Nil
(7)	(8)							
..	7.		Training and Leave Reserve Professor	02	100% by transfer from other services such as State and Central Government organisations (P. W. D. Irrigation etc.) and their undertakings, M. P. E. B. Coal India Ltd., B. H. E. L. etc. on deputation/contract.	Nil
..	8.		Training and Leave Reserve Reader	09		
..	9.		Training and Leave Reserve Lecturer	13		
..	10.		Assistant Workshop Superintendent	17	100% by transfer from Lecturer Mechanical Engineering.	Nil
..	11.		Lecturer:					
..	Selection	(1)	Civil Engineering	52	100%	Examination.
..	Selection	(2)	Mechanical Engineering	66	100%	Examination.
..	Selection	(3)	Electrical Engineering	49	100%	Examination.
..	Selection	(4)	Applied Mechanics	05	100%	Examination.
..	Selection	(5)	Electronics	35	100%	Examination.
..	Selection	(6)	Chemical Engineering	11	100%	Examination.
..	Selection	(7)	Mining	07	100%	Examination.
..	Selection	(8)	Metallurgy	05	100%	Examination.
..	Selection	(9)	Light Metal and Alloy Technology	01	100%	Examination.
..	Selection	(10)	Computer Engineering	02	100%	Examination.
..	Selection	(11)	Architecture	07	100%	Examination.
..	Selection	(12)	Engineering Chemistry	05	100%	Examination.
Transfer of cadre of Mechanical/Production Engineering.	Nil							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NON TECHNICAL							
12.	Professor 24						
	(1) Physics		06	100%	Selectio
	(2) Chemistry		06	100%	Selectio
	(3) Mathematics		07	100%	Selectio
	(4) Geology/Applied Geology		01	100%	Selectio
	(5) Computer Applications		04	100%	Selectio
13.	Reader 27						
	(1) Physics		05	100%	Selectio
	(2) Chemistry		03	100%	Selectio
	(3) Mathematics		11	100%	Selectio
	(4) Geology/Applied Geology		04	100%	Selectio
	(5) Computer Applications		04	100%	Selectio
14.	Lecturer 120						
	(1) Physics		34	100%	Examina
	(2) Chemistry		27	100%	Examina
	(3) Mathematics		31	100%	Examina
	(4) English		09	100%	Examina
	(5) Geology/Applied Geology		09	100%	Examina
	(6) Computer Applications		10	100%	Examina
15.	Programmer		13	100%	Examina
POLYTECHNIC/WOMEN POLYTECHNIC							
TECHNICAL							
1.	Principal Polytechnic		37	..	100%	..	N
2.	Indian Team Leader (Polytechnic Development Unit)		01	..		100% from cadre of Principal	
3.	Head of the Department:						
	(1) Civil Engg.		22	100%	Selectio
	(2) Mechanical Engg.		30	100%	Selectio
	(3) Electrical Engg.		29	100%	Selectio
	(4) Electronics & Telecommuni- cation.		06	100%	Selectio
	(5) Electronics & Television Engineering		04	100%	Selectio
	(6) Television Engineering		01	100%	Selectio
	(7) Applied Mechanics		01	100%	Selectio
	(8) Metallurgy		01	100%	Selectio

(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
..	Selection			(9) Automobile	01	100%	Selection
..	Selection			(10) Textile	01	100%	Selection
..	Selection			(11) Structural Engineering	01	100%	Selection
..	Selection			(12) Mining	03	100%	Selection
..	Selection			(13) Mining Survey	01	100%	Selection
..	Selection			(14) Town Planning and Architecture	01	100%	Selection
..	Selection			(15) Architecture Draftsman ship	03	100%	Selection
..	Selection			(16) Pharmacy	03	100%	Selection
..	Selection			(17) Production Engineering	01	100%	Selection
..	Selection			(18) Chemical	01	100%	Selection
..	Selection			(19) Expert Teacher (Polytechnic Development unit)	04	100% from cadre of Head of the Department (Tech)	..
..	Selection	4.		Lecturer					
..	Selection			(1) Civil	150	100%	Examination
..	Selection			(2) Mechanical	128	100%	Examination
..	Selection			(3) Electrical	108	100%	Examination
..	Selection			(4) Electronics & Telecommuni- cation Engineering.	37	100%	Examination
..	Selection			(5) Electronics & T. V. Engineering	04	100%	Examination
..	Selection			(6) Television Engineering	05	100%	Examination
..	Selection			(7) Engineering Chemistry	08	100%	Examination
..	Selection			(8) Metallurgy	07	100%	Examination
..	Selection			(9) Automobile	04	100%	Examination
..	Selection			(10) Textile Engineering	03	100%	Examination
..	Selection			(11) Structural Engineering	02	100%	Examination
..	Selection			(12) Town Planning & Architecture	01	100%	Examination
..	Selection			(13) Mining	12	100%	Examination
..	Selection			(14) Mining Surveying	02	100%	Examination
..	Selection			(15) Architecture Draftsmanship	04	100%	Examination
..	Selection			(16) Pharmacy	14	100%	Examination
..	Selection			(17) Production Engineering	03	100%	Examination
..	Selection			(18) Chemical Engineering	07	100%	Examination
..	Selection			(19) Workshop Superintendent	30	100% by transfer from Lecturer Mechanical Engg./ Production Engg.	Nil
..	Selection			(20) Training Placement Officer	11	100% by transfer from other Services/ deputation/contract.	Nil
..	Selection			(21) Leave Reserve Lecturer	30	100% by transfer from other Services/ deputation/contract.	Nil
..	Selection	5.		Assistant Workshop Superintendent.	21	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NON- TECHNICAL							
Head of the Department							
	(1)	Commercial Practice	05	100%	Selection
	(2)	Secretarial Practice & Stenography	03	100%	Selection
	(3)	Costume Design & Dress making	04	100%	Selection
	(4)	Vedio Production	01	100%	Selection
	(5)	Interior Decoration	01	100%	Selection
	(6)	Medical Laboratory Technology	01	100%	Selection
	(7)	Computer Applications	03	100%	Selection
7.	LECTURER						
	(1)	Physics	29	100%	Examination
	(2)	Chemistry	29	100%	Examination
	(3)	Mathematics	37	100%	Examination
	(4)	English	36	100%	Examination
	(5)	Botany	01	100%	Examination
	(6)	Commercial Practice	19	100%	Examination
	(7)	Secretarial Practice and Stenography	07	100%	Examination
	(8)	Costume Design & Dress Making	03	100%	Examination
	(9)	Computer Applications	08	100%	Examination
	(10)	Medical Laboratory Technology	03	100%	Examination
	(11)	Vedio Production	02	100%	Examination
	(12)	Applied Photography	01	100%	Examination
	(13)	Cinematography	01	100%	Examination
	(14)	Vedio Technology	01	100%	Examination
8.	(1)	Script Writer	01	100%	Examination
	(2)	Vedio Recordist	01	100%	Examination
9.	(1)	Programmer	05	100%	Examination
	(2)	System Analyst	02	100%	Examination
	(3)	Vediographer	01	100%	Examination
	(4)	Artist	01	100%	Examination
	(5)	Camerman	01	100%	Examination
10.	KALANIKETAN						
	(1)	Principal	01	By Transfer from the cadre of Head of the Deptt. (Technical)	..
	(2)	Head of the Department (Letter Press)	01	100%	Selection
	(3)	Head of the Department (Photolithography)	01	100%	Selection

(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(4) Lecturer					
			Civil Engineering	04	100%	Examination
Selection			Mechanical Engg.	02	100%	Examination
Selection			Electrical Engineering	04	100%	Examination
			(5) Lecturer Printing (Letter Press/Photolithography)	05	100%	Examination
Selection			(6) Chief Instructor Printing	01	100%	Examination
Selection			(7) Workshop Foreman	01	100%	Examination
Selection								

HIGHER SECONDARY TECHNICAL SCHOOL:

11.	Principal	12	..	100%	Nil
	Workshop Foreman	12	..	100%	Nil
	Lecturer Mechanical	12	..	100%	Nil
	Lecturer Electrical	12	..	100%	Nil

Note.—1. In case of cadres of Workshop Superintendent Engineering College/Assistant Workshop Superintendent Engineering College/Training Placement Officer Engineering College and Workshop Superintendent Polytechnic/Workshop Foreman Kalaniketan/Training Placement Officer Polytechnic which will be filled by transfer from the cadre as specified in column (4) of Schedule-II it is clarified that the persons transferred to these posts can be re-transferred to the equivalent teaching posts as per requirements of the institution. The experience on these posts will be considered equivalent to the experience of equivalent teaching posts.

Note.—2. The candidates who at the time of their recruitment as Lecturers possess Masters and Doctoral Degree in Engineering/Technology shall be granted two and four advance increments, respectively and candidates who possess M. Phil and Ph.D Degree in Science and Humanities shall be granted one and three advance increments, respectively in the scale of Rs. 2200—4000 along with the benefit of corresponding years of service for the purpose of promotion. The existing lecturer who do not possess these qualifications or who might be recruited in future without these qualifications will be eligible for similar benefit in service for the purpose of promotion as and when they acquire these qualifications but they will not be eligible for advance increments. Existing lecturer who possess these qualifications will also be eligible for the benefit in the service for the purpose of promotion.

Note.—3. The lecturer appointed as regular Lecturer in the scale of Rs. 2200—4000 will be placed as Senior Lecturer in the scale of Rs. 3000—5000 if he has:—

- Completed eight years of service as regular lecturer with relaxation in service as provided in Note-2 above.
- Participated in two refresher courses or summer institutes each of approximately four weeks duration or in other comparable continuing education programme approved by All India Council of Technical Education.
- Consistently satisfactory performance appraisal reports.

Note.—4. The Lecturer in the Senior Scale will be placed as Lecturer Selection Grade in the scale of Rs. 3700—5700 on completion of Eight years of service in the Senior scale with relaxation of service as provided in Note 2 above if he has:—

- Completed Eight years of Service as Senior Lecturer.

Examination
Examination
Examination
Examination
Examination
Examination
Examination

Examination

Examination
Examination

Examination
Examination
Examination
Examination

Examination
Examination

Examination
Examination
Examination
Examination
Examination

Selection

Selection

(b) Attended two refresher courses or Summer institutes or in other comparable continuing education programme approved by All India Council of Technical Education.

(c) Performance has been assessed as consistently good.

Note.—5. For the purpose of placement of lecturers in the Senior Scale and Selection Grade the corresponding number of posts held by them will be upgraded. The placement shall be through a process of screening/selection by a committee consisting of the following members:—

(A) Engineering College :	Secretary	.. Chairman
	Director of Technical Education.	.. Member
	Two Principals of Engineering Colleges.	.. Members
(B) Polytechnic:	Secretary	.. Chairman
	Director of Technical Education	.. Member
	Two Principals of Polytechnics	.. Members

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of Department	Name of post	Min- mum age Limit (3)	Upper age Limit (4)	Educational qualifications and experience (5)	Remarks (6)
Man Power Planning Department.	ENGINEERING COLLEGE, TECHNICAL 1 Professor	..	55	(1) Ph. D. with 1st class degree at Bachelor's or Master's level in appropriate branch of Engineering/Technology. And (2) 10 years experience in Teaching/Industry/Research out of which 5 years must be at the level of Reader or equivalent. Note: Candidates from Industry/profession with recognised professional work of high standard recognised at National/International level equivalent to Doctorate would also be eligible.	
	2 Reader	..	50	(1) 1st class Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology. And (2) 5 years experience in Teaching/Industry/Research at the appropriate level.	

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Note.—Candidates from Industry/profession with recognised profession work equivalent to Master's Degree in the case of Engineering/Technology work also be eligible.

Desirable.—Ph. D. Degree in Engineering/Technology.

3. Lecturer

21 30

Ist class Bachelor's Degree in appropriate Branch of Engineering/Technology.

NON TECHNICAL

1. Professor

55

(1) Ph. D. Degree with Ist class M. Sc. in appropriate branch for teaching post in Humanities and Science.

And

(2) 10 years experience in Teaching/Industry/Research out of which 5 years must be at the level of Reader or equivalent.

Note.—Candidates from Industry/Profession with recognised professional work of high standard recognised at National/International level equivalent to Doctorate would also be eligible.

2. Reader

50

(1) Ph. D. in appropriate branch with Ist class in Master's Degree in case of teaching posts in Humanities and sciences.

And

(2) 5 years experience in teaching Industry/Research at the appropriate level.

Note.—Candidates from Industry/Profession with recognised Professional work equivalent Ph. D. in Humanities and Sciences as the case may be would also be eligible.

Desirable.—Post-Doctoral work in case of teaching posts in Humanities/Sciences.

3. Lecturer

21 30

Ist class Master's degree in appropriate branch of study in the case of teaching posts in Humanities and sciences.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Computer Applications:				
	1. Professor	..	55	(1) Ph. D. with 1st class Master degree in computer science, Engineering or Technology. OR Ph. D. Degree in Computer Applications with 1st class in M. C. A., M. C. Sc. Engineering/Technology. And (2) 10 years experience in teaching industry/research out of which 5 years must be at the level of Reader or equivalent. Note.—Candidate from Industry/Profession with recognised professional work of high standard at National/International level equivalent to Doctorate would also be eligible.	
	2. Reader	..	50	(1) First Class Master Degree in Computer Science/Computer Engineering or Technology. Or Ph. D. in Computer Applications with I class in Master Degree in Computer Applications or Bachelors degree in Computer Science/Computer Engineering or Technology. And (2) 5 years experience in teaching/industry/computer centre/Research at appropriate level. Note.—Candidates from Computer Software Industry/Profession with recognised professional work equivalent to Master's degree in Computer Science/Engineering or Technology. Ph. D. in Computer Applications would also be eligible. Desirable.—Ph. D. in Computer science, or Post Doctoral work in case of Computer Applications.	
	3. Lecturer	21	30	1st class Bachelors degree in Computer Sciences/Computer Engineering or Technology. OR 1st class Masters Degree in Computer Applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Programmer	21	30	Bachelor's Degree in Engineering or at least second class post Graduate Degree in Maths/ Physics/Statistics/Operation Research from a recognised University with one year experience of working on cobal/programming. OR Second Class Bachelors Degree in Electronics or Computer Science. OR Diploma/Post Diploma in Computer Applications Programming with one year experience of working on computer. Desirable Qualification.—Experience of D. M. S./ Spread Sheet. Note.—Relaxation in experience will be admissible to those candidates who possess Diploma/Post Diploma in Computer Applications/Programming along with qualification mentioned in para (1) above.	
5.	Senior Instructor (Chemical)	21	30	Bachelors Degree in Chemical Engineering.	
6.	Senior Instructor (Sciences)	21	30	Post Graduate degree in Physics./Chemistry/ Mathematics.	

Man
PowerPlanning
Department

POLYTECHNIC AND TECHNICAL SCHOOL

(1) Head of the Department (Technical) Civil/Mech./ Elect./T. V. Engg./Tele-communication/Television/ Applied Mech./Metallurgy/ Automobile/Textile/ Structural Engg./Mining/ Architecture Mining Surveying/Town Planning & Architecture/ Draftsmanship/Production Engg./Chemical Engg.	50	Essential: (1) First class Master's degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education having basic degree in appropriate branch of Engineering. And (2) Five years experience in Teaching/Industry and Research at the appropriate levels. Note. —Candidates from Industry/Profession with recognised professional work equivalent to Master's degree will also be eligible. Desirable. —Ph.D. degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician Education.
---	----	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2) Head of the Department Medical Laboratory Technology	..	50	M. B. B. S with five years experience out of which two years should be in Pathology or Bacteriology Department. OR M. D. in Pathology with three years experience.	
	(3) Head of the Department in Pharmacy (Technical)	..	50	(1) First class M, Pharma. having basic Degree in B. Pharma. And (2) Five years experience in Teaching and/or Research work.	
	(4) Head of the Department Commercial Practice	..	50	(1) Ph. D. Degree in the commerce And (2) Five years experience in teaching/ Industry and Research at the appropriate levels.	
	(5) Head of the Department Secretarial Practice and Stenography	..	50	(1) Ph. D. degree in the commerce And (2) Five years experience in teaching/ Industry and Research at the appropriate levels.	
	(6) Head of the Department in Computer Science & Engineering Technology (Including Computer Applications)	..	50	(1) First class Masters Degree in Computer Science/Computer Engineering/Technology. OR Ph. D. in Computer Applications with First class Masters Degree in Computer Applications or Bachelors Degree in Computer Science/ Computer Engg./Technology. OR First class Masters of Technician Education with First class in Master of computer Applications or Bachelor in Computer Science/Computer Engineering/Technology. And (2) Five years experience in Teaching/Industry/ Computer /Centre/Research at appropriate levels.	
	(7) Head of the Video production	..	50	(1) First class Masters degree in Physics/Chemistry OR Ist Class Degree in Engineering And (2) First class Diploma in Photography with eight years Teaching and or professional experience.	

(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(8)	Head of the Department Printing (Letter Press)	..	50	At least First class Diploma in Printing Technology (letter press) from any recognised Institution/Board/University along with either eight years teaching or eight years practical experience in Printing Technology (Letter Press) or a total of eight years of teaching and such practical experience in Printing Technology.	
	(9)	Head of the Department Printing (Photolithography)	..	50	At least First class Diploma in Printing Technology (Photolithography Offset) from any recognised Institution/Board/University along with eight years practical experience in the field of Printing Technology (Photolithography group) or a total eight years teaching and practical experience in the field of Printing Technology (Photolithography).	
	(10)	Head of the Department . costume Design & Dress- Making.	..	50	First class Master's Degree in Textile and Clothing (M. H. Sc.) with five years experience. OR First class Bachelor's Degree in any subject with First class Diploma in costume Design and Dress Making and five years experience in the subject.	
	(1)	Lecturer (Technical)	21	30	First class Bachelor's degree in appropriate branch of Engineering/Technology.	
	(2)	Lecturer Science and Humanities	21	30	First class Post Graduate Degree in appropriate branch of study for teaching post in Humanities and Science.	
	(3)	Lecturer Pharmacy (Technical)	21	30	Masters Degree in the subject OR First class Bachelors Degree in the subject with three years experience.	
	(4)	Lecturer Medical Laboratory Technology	21	30	M. B. B. S. or equivalent thereof with one year professional experience or First Class M. Sc. in Bio-chemistry/or equivalent thereof with three years experience of teaching in similar courses.	
	(5)	Lecturer Commercial Practice.	21	30	First class Masters Degree in Commerce.	
	(6)	Lecturer Commercial Practice (Stenography)	21	30	First class Masters degree in Commerce along with First class Diploma in Commercial Practice/Secretarial practice and Stenography.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(7) Lecturer Secretarial Practice and Stenography	21	30		First class Master Degree in Commerce.
	(8) Lecturer Secretarial Practice & Stenography (for Stenography)	21	30		First class Master Degree in Commerce with Secretarial Practice as subject. OR First class Masters Degree in Commerce alongwith First class Diploma in Commercial Practice/ Secretarial Practice and Stenography.
	(9) Lecturer Applied Photography	21	30		(1) First class Masters Degree in Physics/Chemistry or equivalent thereof OR First class Bachelor degree in Engineering. And (2) First class Diploma in Photography with 3 years teaching and or professional experience.
	(10) Lecturer Video Production	21	30		(1) First class Masters degree in Hindi or English alongwith First class Diploma in Video Production OR First class Masters degree in Mass Communication/ Film Production And (2) Alongwith experience as Director/Producer in any recognised Institution. OR Two years experience in T. V. Production or Relaying the T. V. Institution.
	(11) Lecturer Cinematography	21	30		(1) At least First Class Bachelors Degree And (2) First Class Diploma in Film Direction/ Cinematography from any recognised Institution.

Note.—Preference will be given to those candidates who have experience in Film Direction/Cinematography.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(12) Lecturer Video Technology	21	30	(1) First Class Bachelors Degree in Electronics. OR First Class Masters Degree in Physics with specialisation in Electronics. And (2) With two years experience as Direction and Maintenance of equipments of Video and Audio in any T. V. Studio.	
	(13) Lecturer Computer Applications.	21	30	First Class Masters Degree in Computer Applications. OR First Class Bachelors Degree in Computer Science/Engineering Electronics.	
	(14) Lecturer Printing	21	30	At least first class Diploma in Printing Technology (Letter Press) from any recognised Institution/Board/University alongwith teaching/practical experience of atleast five years in the various processes of mechanical composing, printing machine and binding in the letter press group out of which at least one year experience should be of working in the capacity of Junior Executive or in the teaching cadre on a post equivalent thereto. At least First Class Diploma in Printing Technology (letter press) from any recognised Institution/Board/University alongwith teaching/practical experience of atleast five years in the various processes of mechanical composing, printing machine and binding in the letter press group out of which at least one year experience should be of working in the capacity of Junior Executive or in the teaching cadre on a post equivalent thereto.	
	B Chief Instructor Printing.				
	C Lecturer (Photolithography)	21	30	At least first class Diploma in Printing Technology (Photolithography) from any recognised Institution/Board/University alongwith teaching practical experience of atleast five years in Printing Technology in the field of making process blocks and of Arts, out of which at least one year experience should be of working in the capacity of Junior Executive or in the teaching cadre on a post equivalent thereto.	
	(15) Lecturer Costume Design and Dress making.	21	30	First Class Masters degree in Textile and Clothing (R. H. Sc.) OR First Class Bachelor's Degree in any subject with First Class Diploma in Costume Design and Dress Making.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(16) Video Recordist		21	30	Second Class Degree in Electronics with two years working experience in a reputed T. V./Video Studio. OR Diploma in Cinema from a recognised Institution/ Board/University with specialisation in Editing/ Sound Recording alongwith three years practical experience.	
(17) Script Writer		21	30	(1) Second Class Master's Degree in Hindi/English And (2) Diploma in Script Writing/Drama/ T. V. Production from a recognised Board/University with two years experience of working in a capacity of Script Writer/Director/Actor/Producer in a reputed institution. OR Second Class Master's Degree in Films from a recognised Institution/University with two years experience of working in a capacity of Script Writer/ Director/Actor/Producer in a reputed institution.	
(18) Videographer		21	30	Second Class Diploma in Video Production from a recognised Board. OR At least second class Bachelors Degree in Science alongwith Diploma/Certificate in Videography in second Division, Note.—Preference shall be given to candidates possessing professional experience of operating video cameras.	
(19) Cameraman		21	30	Second Class Diploma in Video Production from a recognised Board. OR At least second class Bachelor's Degree in Science alongwith Diploma/Certificate in Videography in Second Division. Note.—Preference shall be given to candidates possessing professional experience of operating Video Cameras.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(20) Programmer/System Analyst.	21	30	<p>Bachelor's degree in Engineering or atleast second class post Graduate Degree in Maths/Physics./Statistics/Operation Research from a recognised University with one year experience of working on Cbbal/Forton/Basic Computer Programming.</p> <p>OR</p> <p>Second Class Bachelors Degree in Electronics or Computer Science.</p> <p>OR</p> <p>Diploma/Post Diploma in Computer Application Programming with one year experience of working on computer.</p> <p>Desirable Qualification: Experience of D. M. S./Spread Sheet.</p> <p>Note.—Relaxation in experience will be admissible to those candidates who possess Diploma/Post Diploma in Computer Applications/Programming alongwith qualification mentioned in para (1) above.</p>	
	(21) Artist	21	30	<p>At least second class Five years National Diploma in Fine and Applied Arts with specialisation in Applied Arts from a recognised Board.</p> <p>OR</p> <p>At least second class Five years National Diploma in Fine and Applied Arts with specialisation in Drawing and Painting from a recognised Board.</p>	

SCHEDULE - III-A

[See Clause (d) of Sub Rule (1) of Rule (6)]

Absorption of Teaching Staff of Non Government Polytechnic Taken Over by Government.

1. In this schedule unless the context otherwise requires:—(1) "Polytechnic" means and includes any Non Government Polytechnic institution whatsoever named which is admitted to the privileges of Madhya Pradesh Board of Technical Education in the State as a Non Govt. Polytechnic affiliated or constituent Polytechnic and is taken over by Government.

(ii) "Government" means the Government of Madhya Pradesh.

(iii) "Staff" means the Principal and the teaching staff of all classes in the permanent or temporary or contract service of the Non Government Polytechnic at the time when the Polytechnic is taken over by Government.

(iv) "Screening Committee" means a Committee comprising of the following:—

- Chairman, M. P. S. C. or a member of P. S. C. nominated by Chairman.
- Man Power Planning Secretary.
- Director of Technical Education, and
- Two Principals, one from Government Engineering College and one from Polytechnic.

(iv) "Teaching Experience" in respect of the staff of a Non Government Polytechnic means the total teaching experience in the subject in Diploma/Degree classes in the Polytechnic/Engineering Colleges, recognised by the Central/State Government but will not include teaching done on honorary or part-time basis.

2. The Screening Committee shall consider the cases of staff in the Polytechnic for absorption in Government services.

3. The Screening Committee shall consider the cases referred to it for absorption to appropriate posts and shall be guided by the following considerations:—

(i) No person shall be absorbed to a post who does not fulfil the minimum requirements prescribed in the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) Recruitment Rules, 1967.

(ii) No person shall be absorbed if at any time in the past he was removed or dismissed from Government or any other service for proved misconduct and/or criminal offence;

(iii) No person shall be absorbed in Government Service if he has attained the age of superannuation according to the Government rules in force at the time of absorption.

4. (1) Except in case of absorption to posts of lecturers no person shall be absorbed to a post in Government Service which carries a higher pay scale than the pay scale of the post on which he was working prior to the take over of the Polytechnic by Government.

4 (2) A person who been rejected by the Madhya Pradesh Public Service Commission for appointment to a post higher than that of Lecturer will not be absorbed on the post higher than the post for which he was rejected.

4 (3) For being absorbed as Principal of Polytechnic a person working as Principal of a Polytechnic taken over by Government shall in addition to the other conditions prescribed under this Schedule have a minimum of 8 years teaching experience and or research/works/practical experience out of which 4 years teaching including research.

5. The Screening Committee, after taking into consideration the relevant provisions of this Schedule shall make suitable recommendations to Government. After the recommendations of the Committee are approved by Government absorption order will be issued by the Government.

per
ser

abs

Gov
maxhe w
servi

date

such

absor

servic

lectur

the m

pay of

Ex

10.

of any pe

Pro
schedule.

(1) Person absorbed to a particular post shall get his seniority from the date of Polytechnic was taken over by the Government i.e. he will be placed below the last existing Government servant recruited through PSC or promoted by D. to that post/cadre before the date of absorption.

(2) (a) The inter-se-seniority of person absorbed from a Polytechnic shall be the same which he was having before date of taking over of the Polytechnic.

(b) Where more than one Polytechnics are taken over by Government on the same date, seniority amongst the persons absorbed from such Polytechnics shall be determined on the basis of the length of total continuous service on a particular post excluding periods for which an appointment is held in a purely stop gap or fortuitous arrangement;

(c) Not-with-standing anything contained in clause (b) where more than one Polytechnic are taken over by Government on the same date and person is absorbed on a post lower than the one he was holding in the Polytechnic from which he is drawn his name shall be placed above all the persons absorbed on that post and holding the same post in the Polytechnic taken over.

(d) Where the service rendered by a senior person in the absorbed post is less than the period of service of a junior person absorbed in such post the period of service of junior persons shall be deemed to be equal to that of the service of a senior person and on the basis of such determination of service he shall be assigned an assumed date of seniority.

(e) Other factors being equal the older person shall be given seniority over the younger.

7. No leave shall be permitted to be carried forward by a person working in a non-government Polytechnic on his absorption in Government service.

Provided that if such a person pays the leave salary contribution in respect of service rendered in a Non-Government Polytechnic he shall be permitted to carry forward the leave so earned subject to the restrictions and maximum limits prescribed in the Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules, 1977.

8. No person absorbed in to Government Service under the provision of this schedule shall by virtue of the fact that he was earlier confirmed in service by the non-government Polytechnic claim as of right to be confirmed in Government service. Confirmation of such persons shall be done in accordance with the Government rules in force from time to time.

9. (a) The date of appointment/promotion of an officer absorbed in Government service shall be deemed to be the date on which his appointment/promotion is approved by the Governing Body of the Polytechnic concerned. The pay of such officer on the afore said date shall notionally be fixed at the minimum of the pay scale of the post to which he is absorbed. Where an officer was holding the post of Principal/Head of Department before his absorption in Government service, is absorbed in the post of Lecturer and was drawing pay at the maximum or more of the time scale of pay of lecturer, than the substantive pay drawn by him shall be protected in such manner that his substantive pay will be equal to the maximum of the pay scale of Lecturer and the difference shall be treated as personal pay to be absorbed in increase in pay of the promoted post.

Explanation.— (a) If the approval of the Governing Body of the Polytechnic concerned was received for a post higher than the post on which he is absorbed than the said approval shall be deemed to be the approval for the post of absorption with effect from that date.

(b) The pay of the absorbed officer as on 19-1-1984 or the date of absorption whichever is later shall be calculated after granting an increment in the applicable pay scale for every completed year of service rendered after the date of such approval.

(c) If on the said date the pay calculated on notional basis is more than the actual pay, such officer shall continue to draw the actual pay and shall be granted future increments on the dates fixed in notional calculation.

(d) If the actual pay on that date is more than the pay calculated on notional basis, the pay of that officer shall be fixed on the basis of the notional pay and the difference will be treated as personal pay to be absorbed in future increment or increments in pay.

Explanation.— Actual pay means the substantive pay and personal pay if any.

10. Nothing in this schedule shall be construed to limit or abridge the power of Government to deal with the case of any person to whom the provision of this schedule apply in such manner as may appear to them to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in this schedule.

4. Two senior Principal of Engineering Colleges—member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>Note.—Candidate from Industry/Profession with recognised Professional work equivalent to Master's degree will also be eligible.</p> <p>Desirable.—PH. D. Degree in appropriate branch of Engineering/Technology Technician Education.</p> <p>Administrative experience in responsible position.</p>	<p>Junior Instructor/Draftman from Engineering College and Polytechnic/Master Instructor Higher Secondary Technical School having Diploma in Mechanical Engineering.</p>	<p>Assistant Workshop Superintendent (Polytechnic)</p>	<p>5 years</p>	<p>A Second class degree in Mechanical Engineering or equivalent there of</p> <p>OR</p> <p>At least Second class Diploma in Mechanical Engineering with three year professional/Teaching experience.</p>	<p>1. Chairman Public Service Commission or any member of the Public Service Commission nominated by him— Chairman.</p> <p>2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary—member</p> <p>3. Director of Technical Education—member</p> <p>4. Two senior Principals of Engineering Colleges—members</p>	
<p>Bachelor's Degree in Mechanical/Electrical Engineering or equivalent there of with one year Professional/Teaching experience.</p> <p>OR</p> <p>At least second class Diploma in Mechanical/Electrical or equivalent there of and about five years experience in administration of Technical Education/Workshop/Teaching out of which three year should be in teaching.</p>	<p>Workshop Foreman/Lecturer Mechanical/Higher Secondary Technical School</p> <p>Principal Higher Secondary Technical School.</p>	<p>5 years</p>	<p>1. Chairman of public Service Commission or any member of the Public Service Commission nominated by him—Chairman.</p> <p>2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary—member</p> <p>3. Director of Technical Education—member</p> <p>4. Two senior Principals of Engineering Colleges—members</p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Workshop Foreman/Technical Assistant/Workshop Assistant/Draftsman Mechanical of Engineering College.	Workshop Foreman Higher Secondary Technical School	5 years	Diploma in Mechanical Engineering of Equivalent thereof with three year teaching/practical experience	1. Chairman Public Service Commission or any member of the Public Service Commission nominated by him— Chairman. 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary —member		
2. Junior Instructor Mechanical/Draftsman Mechanical of Polytechnics				3. Director of Technical Education —member		
3. Master Instructor of Higher Secondary Technical School				4. Two senior Principals of Engineering Colleges—members		
4. Junior Instructor Mechanical/Assistant Workshop Foreman of Kala Niketan.						
1. Assistant Workshop Foreman Mechanical Technical Assistant (Mechanical)/ Workshop Assistant (Mechanical) Draftsman Mechanical of Engineering College.	Lecturer Mechanical Higher Secondary Technical School	5 years	Degree in Mechanical Engineering or equivalent thereof OR Diploma in Mechanical Engineering or equivalent thereof with three years teaching/practical experience.	1. Chairman of Public Service Commission or any member of the Public Service Commission nominated by him— Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary —member		
2. Junior Instructor (Mechanical)/Draftsman (Mechanical) of Polytechnic				3. Director of Technical Education —member		
				4. Two Senior Principals of Engineering Colleges— members		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3. Master Instructor of Mechanical of Higher Secondary Technical School.					
	4. Junior Instructor (Mechanical)/Assistant Workshop Foreman of Kala Niketan.					
	1. Technical Assistant (Electrical) Workshop Assistant (Electrical)/ Electrical Assistant (Electrical) of Engineering College	Lecturer Electrical Higher Secondary Technical School	5 years	Degree in Electrical Engineering or equivalent thereof OR Diploma in Electrical Engineering or equivalent thereof with three years teaching/practical experience.	1. Chairman of Public Service Commission or any member of the Public Service Commission nominated by him— Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary—member 3. Director of Technical Education—member 4. Two Senior Principals of Engineering Colleges— members	
	2. Junior Instructor (Electrical) Draftsman (Electrical) of Polytechnics					
	3. Master Instructor (Electrical) Higher Secondary Technical School.					
	4. Junior Instructor (Electrical) of Kalamiketan.					

Note.— 1 The qualification of A. M. I. E. (Pass Section A and B of A. M. I. E.) would be considered equivalent to second class degree.

Note.— 2. Pass Division with 50% marks will be considered equivalent to a second class Degree.